

वार्षिक प्रतिवेदन
Annual Report
1996 - 97



सत्यमेव जयते

भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES

वार्षिक रिपोर्ट
ANNUAL REPORT
1996-97



सत्यमेव जयते

भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES

PARLIAMENT LIBRARY
Central Govt. Publications
Acc. No. RC 97019(2)
Date... 29/4/94

354.54K
N6;1

विषय सूची

क्रम संख्या	विषय	पृष्ठ
1.	अध्याय-1 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय इसकी स्थापना और उपलब्धियां	1
2.	अध्याय-2 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का ढांचा और कार्य	7
3.	अध्याय-3 खाद्यान्न मिलिंग उद्योग	8
4.	अध्याय-4 उपभोक्ता खाद्य उद्योग	13
5.	अध्याय-5 फल एवं सब्जी प्रसंस्करण	15
6.	अध्याय-6 दूध व दूध से बने उत्पाद	18
7.	अध्याय-7 मांस और पाल्द्री प्रसंस्करण	19
8.	अध्याय-8 गहन समुद्री मात्स्यिकी	21
9.	अध्याय-9 सरकारी क्षेत्र के उपक्रम	26
10.	अध्याय-10 विशेष संघटक योजना और जनजातीय उप-योजना	29

CONTENTS

S.No.	Particulars	Page No.
1.	Chapter I Ministry of Food Processing Industries, Its Establishment And Achievements	1
2.	Chapter II Structure And Functions Of The Ministry of Food Processing Industries,	7
3.	Chapter III Food Grain Milling Industries	8
4.	Chapter IV Consumer Food Industries	13
5.	Chapter V Fruits And Vegetable Processing Industries.....	15
6.	Chapter VI Milk & Milk Products	18
7.	Chapter VII. Meat and Poultry Processing.....	19
8.	Chapter VIII Deep Sea Fishing	21
9.	Chapter IX Public Sector Undertakings	26
10.	Chapter X Special Component Plan and Tribal Sub-Plan.....	29

CHAPTER I

MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES

ESTABLISHMENT AND ACHIEVEMENTS

1. The Ministry of Food Processing Industries was established on 11th March 1985. It is a central ministry under the Department of Food and Civil Supplies, Government of India. The Ministry is responsible for the development and promotion of food processing industries in India. It is also responsible for the regulation and control of food processing industries. The Ministry has a wide range of functions, including the formulation and implementation of policies, the provision of technical assistance, the promotion of investment, and the regulation of food processing industries. The Ministry has achieved a number of significant achievements since its establishment, including the establishment of a number of food processing zones, the provision of technical assistance to a large number of food processing units, and the promotion of investment in the food processing sector. The Ministry has also achieved a number of significant achievements in the regulation and control of food processing industries, including the implementation of a number of food safety and quality standards, and the establishment of a number of food processing zones.

The Ministry is also responsible for the regulation and control of food processing industries. It is also responsible for the provision of technical assistance, the promotion of investment, and the regulation of food processing industries.

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय स्थापना और उपलब्धियां

MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES ESTABLISHMENT AND ACHIEVEMENTS

अध्याय-1

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय—इसकी स्थापना और उपलब्धियां

देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की स्थापना जुलाई, 1988 में की गई थी। यह महसूस किया जाता है कि एक सुदृढ़ और कारगर खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र कृषि के विविधीकरण और व्यापारीकरण, कृषि उत्पाद का मूल्यवर्धन करने, रोजगार और आय के अवसर पैदा करने तथा निर्यात के लिए कृषि खाद्य उत्पादों के उत्पादन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मंत्रालय राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और लक्ष्यों की सीमा के भीतर उपर्युक्त उद्योगों के लिए नीति तथा योजनाएं बनाने और उन्हें लागू करने, बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने जिसमें प्रौद्योगिकी का उन्नयन शामिल है, तथा गुणवत्ता के मानक लागू करने, घरेलू बाजार को निर्यात की तरफ सक्रिय करने और कर तथा शुल्क को युक्तिसंगत बनाने का काम करता है।

इस मंत्रालय को निम्नलिखित विषय आबंटित किए गए हैं:

- (1) फल तथा सब्जी प्रसंस्करण उद्योग (प्रशीतन और निर्जलीकरण समेत)
- (2) खाद्यान्न मिलिंग उद्योग
- (3) दुग्ध पाउडर, शिशु दूध आहार तथा माल्टेड मिल्क, कंडेंस मिल्क, घी आदि जैसे डेरी उत्पाद।
- (4) पॉल्ट्री और अंडा, मांस तथा मांस उत्पादों का प्रसंस्करण तथा प्रशीतन
- (5) मछली-प्रसंस्करण (डिब्बाबंदी और प्रशीतन समेत)
- (6) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए विकास परिषदों की स्थापना और व्यवस्था
- (7) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को तकनीकी सहायता तथा परामर्श
- (8) प्रादेशिक जल सीमा के बाहर मत्स्यन और मात्स्यिकी
- (9) डबलरोटी, तिलहन, भोजन (खाद्य), नाश्ता आहार, बिस्कुट, मिष्ठान (कोको प्रसंस्करण और चॉकलेट उत्पादन समेत), माल्ट एक्सट्रैक्ट, प्रोटीन, आइसोलेट, अधिक प्रोटीन वाले खाद्य, वीनिंग फूड और एक्सट्रूडिड खाद्य उत्पाद (खाने के लिए तैयार अन्य खाद्यों समेत) से संबंधित उद्योगों की योजना, विकास और नियंत्रण तथा सहायता
- (10) खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए विशेषीकृत पैकेजिंग
- (11) अल्कोहल रहित पेय समेत पेय
- (12) गैर सीरा आधारित अल्कोहल पेय
- (13) वातित जल, शीतल पेय और अन्य प्रसंस्कृत खाद्य

आर्थिक उदारीकरण के युग में जहां निजी, सार्वजनिक और सहकारी क्षेत्रों को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विकास में अपनी उचित भूमिका निभानी होती है, मंत्रालय इस क्षेत्र में अधिक पूंजी निवेश को बढ़ावा देने, उद्योग का सही दिशा में मार्गनिर्देशन करने तथा सहायता देने, निर्यात को बढ़ावा देने और इन उद्योगों के स्वस्थ विकास के लिए सामान्य माहौल पैदा करने में एक उत्प्रेरक की भूमिका निभाता है। मंत्रालय निजी और सहकारी क्षेत्रों को प्रोत्साहन दे रहा है और उसने पूंजी निवेश और विकास के लिए उत्प्रेरक की भूमिका निभाई है। अगस्त 1991 से दिसम्बर, 1996 तक खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों के लिए 45752 करोड़ रुपये के पूंजी निवेश वाले और 6.21 लाख लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार देने वाले 3885 औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन प्राप्त हुए हैं। उदारीकरण की अवधि से पूर्व पेश किए गए औद्योगिक उद्यमी ज्ञापनों में से 3332 औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन जिनमें 39856 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश तथा लगभग 563 लाख लोगों को प्रत्यक्ष

CHAPTER I

MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES ITS ESTABLISHMENT AND ACHIEVEMENTS

With a view to give a thrust to the development of food processing industries in the country, the Ministry of Food Processing Industries was set up in July 1988. It is felt that a strong and effective food processing sector plays a significant supportive role in diversification and commercialisation of agriculture, improving value addition in the agricultural produce, employment generation and providing income and production of agro food products for export. The Ministry is concerned with the formulation and implementation of policies and plans for the above industries within the national priorities and objectives, improvement of infrastructure, including upgradation of technology and enforcing quality standards, activating domestic market focus on export and rationalisation of taxes and duties.

The subjects allocated to this Ministry are as under:

- (i) Fruits & Vegetable processing industry (including freezing and dehydration)
- (ii) Foodgrain milling industry
- (iii) Dairy products such as milk powder, infant milk food, malted milk food, condensed milk, ghee etc.
- (iv) Processing and refrigeration of poultry and eggs, meat & meat products.
- (v) Processing of fish (including canning and freezing.)
- (vi) Establishment and servicing of the Development Councils for food processing industries.
- (vii) Technical assistance and advice to food processing industry.
- (viii) Fishing and fisheries beyond territorial waters.
- (ix) Planning, development and control of, and assistance to industries relating to bread, oilseeds, meals (edible), breakfast foods, biscuits, confectionery (including cocoa processing and chocolate making), malt extract, protein isolate, high protein food, weaning food and extruded food products (including other ready-to-eat foods.)
- (x) Specialised packaging for food processing industries.
- (xi) Beer, including non-alcoholic beer.
- (xii) Alcoholic drinks from non-molasses base.
- (xiii) Aerated waters/soft drinks and other processed foods.

In the era of economic liberalisation where the private, public and co-operative sectors are to play their rightful role in development of food processing industry, Ministry acts as a catalyst for bringing in greater investment into this sector, guiding and helping the industry in a proper direction, encouraging exports and creating a general atmosphere for healthy growth of the food processing industries. Ministry is encouraging private & Co-operative sectors and has undertaken the role of facilitator for investment and growth. Since August 1991 till December 1996, 3885 Industrial Entrepreneur Memoranda (IEM) envisaging an investment of Rs. 45752 crores and direct employ

रोजगार देना निहित था, गैर शहरी क्षेत्रों के लिए थे। इनमें से लगभग 43% पूंजी निवेश पिछड़े इलाकों में करने का प्रस्ताव है। इनमें 511 प्रस्ताव जिनमें लगभग 6604 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश और 67354 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार देना निहित है, कार्यान्वित किए जा चुके हैं।

उदारीकरण के बाद की अवधि के दौरान सरकार ने संयुक्त उद्यम/विदेशी सहयोग/औद्योगिक लाइसेंस/शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुखी यूनिटों जैसे विभिन्न प्रस्तावों को भी मंजूरी दी है जिनमें 7552 करोड़ रुपये के विदेशी पूंजी निवेश समेत 16628 करोड़ रुपये से अधिक का पूंजी निवेश करने और लगभग 2.56 लाख लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार देने का प्रस्ताव है। इसमें से 15717 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश गैर शहरी इलाकों में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना के लिए है। इनमें से 164 प्रस्ताव लागू किए जा चुके हैं और उनसे लगभग 0.79 लाख लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिला है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान खाद्य प्रसंस्करण उद्योग ने सकारात्मक वृद्धि को बनाए रखा। खाद्यान्न प्रसंस्करण क्षेत्र में इस मंत्रालय द्वारा की गई निरन्तर कोशिशों से छोटे हलरों के आधुनिकीकरण की गति में थोड़ी तेजी आई है और आधुनिकीकृत चावल मिलों की कुल संख्या जो कि 1.1.96 को 34163 थी, 1.1.97 की स्थिति के अनुसार 34179 हो गई है। इन आधुनिक और आधुनिकीकृत मिलों से बेहतर किस्म का चोकर प्राप्त होने के फलस्वरूप अनुमान है कि 1995-96 में लगभग 32.7 लाख टन चोकर का प्रसंस्करण किया गया जबकि 1970-71 में 1.87 लाख टन चोकर का प्रसंस्करण किया गया था।

क्षेत्रीय विस्तार सेवा केन्द्रों और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर स्थित फसलोत्तर प्रौद्योगिकी केन्द्र ने मिलिंग उद्योग को अपेक्षित सहायता देना तथा अल्पकालीन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित करना आदि जारी रखा। उपकरणों के परीक्षण, मशीनरी के चयन, पैकेजिंग और रख-रखाव के लिए तेरह प्रशिक्षण केन्द्रों ने मशीनरी निर्माताओं और मिलरों को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई। धान प्रसंस्करण अनुसंधान केन्द्र, तंजावुर में चावल प्रसंस्करण तथा सह-उत्पादों के विभिन्न व्यावहारिक पहलुओं जैसे सुखाना, भण्डारण करना, सेलीकरण, मिलिंग, ब्रान स्थिरीकरण, तेल निकालना आदि पर अनुसंधान कार्य जारी रहे। फिलहाल केन्द्र में निम्नलिखित परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा है:

(क) भंडार में रखी चावल की भूसी में स्वदहन का अध्ययन और

(ख) खेत में गीले धान को सुखाने के लिए ड्रायर का डिजाइन, निर्माण और परीक्षण।

मंत्रालय द्वारा वित्तपोषित खाद्य इंजीनियरी केन्द्र की स्थापना निम्नलिखित प्रमुख उद्देश्यों के लिए सी०एफ०टी०आर०आई०, मैसूर में की गई है:

(क) पायलट संयंत्र और अन्य इंजीनियरिंग अध्ययन द्वारा प्रक्रिया, उत्पाद और संयंत्र डिजाइन/प्रोफाइल तथा उनके अधिकतम इस्तेमाल का तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन।

(ख) परियोजना के कार्यान्वयन स्तर के दौरान उत्पादन केन्द्र के रूप में नए उत्पादन के परीक्षण-विपणन में सहायता देने और बाजार प्रक्रिया के अनुरूप उत्पाद में परिवर्तन करना।

(ग) ऑपरेटरों, टैक्नालॉजिस्टों और इंजीनियरों को संयंत्र चलाने, उसके रखरखाव और प्रसंस्करण संयंत्रों में उत्पन्न होने वाली गड़बड़ी के बारे में प्रशिक्षण देना।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान खाद्यान्न प्रसंस्करण क्षेत्र में धान मिलिंग और दाल मिलिंग के लिए 18 नई शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुखी यूनिटों/औद्योगिक लाइसेंस/विदेशी निवेश वाले प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। इनमें 158 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश किया जाएगा और लगभग 1196 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। इस क्षेत्र में 766 करोड़ रुपये के कुल निवेश वाले कुल 64 प्रस्तावों को अब तक मंजूरी दी गई है। इस समय देश में धान मिलों की कुल संख्या 138898 है।

उपभोक्ता उद्योग में समीक्षाधीन अवधि के दौरान बीस शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुखी यूनिटों/संयुक्त उद्यम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इसमें 3508 करोड़ रुपये के विदेशी पूंजी निवेश समेत 3660 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश किया जाएगा। उदारीकरण से लेकर अब तक उपभोक्ता उद्योग में कुल 61 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है जिनमें 4562 करोड़ रुपये के विदेशी पूंजी निवेश समेत 5139 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश निहित है। इनमें से लगभग 977 करोड़ रुपये के पूंजी निवेश वाली 23 परियोजनाएं शुरू की जा चुकी हैं।

ment of 6.21 lakh persons have been received for various sub sectors of the food processing industries. Out of the IEMs filed in the post liberalisation period, 3332 IEMs envisaging an investment of Rs. 39856 crores and direct employment of approx. 5.63 lakh persons are for non urban areas. About 43% of these investments are proposed to be made in the backward areas. Of these, 511 proposals having an investment of approx. Rs. 6604 crores and direct employment of 67354 persons have already been implemented.

During the post liberalisation period, Government have also approved various proposals like Joint Ventures/Foreign Collaborations, Industrial Licences/100% Export-Oriented Units, envisaging an investment of over Rs. 16628 crores including foreign investment of Rs. 7552 crores and direct employment of approx. 2.56 lakh persons. Out of this, an investment of Rs. 15717 crores is for setting up of food processing industries in the non urban areas. 164 of these proposals have already been implemented generating a direct employment of approx. 0.79 lakh persons.

In the year under report, the food processing industries maintained an all round positive growth. In the grain processing sector due to sustained efforts of this Ministry, pace of modernisation of small hullers has increased slightly and the total number of modernised rice mills as on 1.1.97 was recorded to be 34179 as against 34163 as on 1.1.96. As a result of improved availability of bran from these modern and modernised mills, the processing of bran is estimated to be around 32.7 lakh tonnes in 95-96 as against 1.87 lakh tonnes in 1970-71.

The Regional Extension Service Centres and the Post Harvest Technology Centre at Indian Institute of Technology, Kharagpur continues to provide requisite assistance to the milling industry and conducts short term training courses etc. Thirteen Testing Centres provided necessary assistance to the machinery manufacturers and millers for testing of equipments, selection and operation and maintenance of machinery. The research work on different applied aspects of rice processing and by-product utilisation, like drying, storage, parboiling, milling, bran stabilisation, oil extraction etc. is being carried out in Paddy Processing Research Centre, Thanjavur. Currently, the projects handled at the Centres are (a) studies on self combustion of rice bran in storage and (b) Design, fabrication and testing of driers for wet paddy drying at farm level.

The Food Engineering Centre, being funded by the Ministry has been set up at CFTRI, Mysore, with the following major objectives:

- (a) Techno-economic assessment of process, product and plant designs/profiles and their optimisation through pilot plant and other engineering studies.
- (b) Assistance in test-marketing of new products by serving as a production centre during the implementation stages of the project and product modifications to suit market response.
- (c) Training of operators, technologists and engineers in plant operation, maintenance and trouble shooting in process plants.

During the year under report setting up of 18 new 100% E.O. Units/Industrial licence/foreign investment proposals for rice milling and pulse milling were approved in the grain processing sector. These involve an investment of Rs. 158 crores and additional direct employment of about 1196 persons. The total proposals approved so far in this sector are 64, with a total investment of Rs. 766 crores. The total number of rice mills in the country so far are 138898.

In the consumer industries, twenty 100% EOU/JV proposals envisaging an investment of Rs. 3660 crores including foreign investment of Rs. 3508 crores were approved during the period under review. A total of 61 proposals in the consumer industries have been approved so far in the post liberalisation period involving an investment of Rs. 5139 crores including foreign investment of Rs. 4562 crores. Out of these 23 projects envisaging an investment of Rs. 977 crores approximately have already been implemented.

भारत सरकार द्वारा सामान्य रूप से और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा विशेष रूप से किए गए प्रयास लाभदायक रहे हैं। इस वर्ष 1 जनवरी की स्थिति के अनुसार फल तथा सब्जी प्रसंस्करण क्षेत्र में स्थापित क्षमता 18.60 लाख टन हो गई है जबकि यह पिछले वर्ष 17.50 लाख टन थी। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान लाइसेंसों की संख्या भी 4368 से बढ़कर 4674 हो गई है और उत्पादन भी 8.57 लाख टन से बढ़कर लगभग 9.60 लाख टन हो गया है।

इनके अलावा, शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुखी यूनिटों/संयुक्त उद्यम के 42 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है जिससे कुल मंजूर प्रस्तावों की संख्या बढ़कर 331 हो गई है और कुल पूंजी निवेश लगभग 4165 करोड़ रुपये हो गया है। इन परियोजनाओं में लगभग 764 करोड़ रुपये की विदेशी इक्विटी और निवेश निहित है। 42 परियोजनाएं उत्पादन शुरू कर चुकी हैं। इस अवधि के दौरान प्रसंस्कृत फल और सब्जी उत्पादों के निर्यात में भी बढ़ोतरी हुई है और अनुमान है कि वित्तीय वर्ष के अंत तक 525 करोड़ रुपये मूल्य तक का निर्यात किया जाएगा।

जुलाई, 1991 में दूध उत्पाद उद्योग को लाइसेंसमुक्त करने के परिणामस्वरूप दूध तथा दूध उत्पाद निर्माण यूनिटें स्थापित करने के लिए उद्यमियों ने दिसम्बर, 1996 तक 1005 से अधिक औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन पेश किए हैं। लेकिन बाद में जून, 1992 में सरकार ने अनिवार्य वस्तु अधिनियम की धारा 3 के तहत दूध तथा दूध उत्पाद आदेश लागू कर दिया जिसके अनुसार प्रतिदिन 10 हजार से अधिक लीटर दूध इस्तेमाल करने वाले व्यापारियों और निर्माताओं के लिए दूध नियंत्रक के पास पंजीकरण करवाना जरूरी हो गया। अब इस आदेश में संशोधन कर दिया गया है। दूध के शेड्स के रजिस्ट्रेशन और आबंटन में देरी के कारण नई यूनिटों की स्थापना में कुछ रुकावटें आई हैं लेकिन प्राप्त सूचना के अनुसार कुछ यूनिटों ने वाणिज्यिक उत्पादन शुरू कर दिया है। इसके अलावा दूध छेना, मट्ठा प्रोटीन और लैक्टोस बनाने के लिए विदेशी सहयोग वाली 7 संयुक्त उद्यम यूनिटों को मंजूरी दी गई है और उनकी स्थापना की जा रही है। इस क्षेत्र में मंजूर किए गए कुल प्रस्तावों की संख्या 18 है जिनमें लगभग 715 करोड़ रुपये का कुल पूंजी निवेश किया जाएगा।

मांस और पॉल्ट्री प्रसंस्करण क्षेत्र में अब तक भैंस मांस के प्रसंस्करण के लिए 15 निर्यातोन्मुखी यूनिटों ने काम करना शुरू कर दिया है। हाल ही में पंजाब में निजी क्षेत्र में एक एकीकृत बूचड़खाना शुरू किया गया है। एक और एकीकृत बूचड़खाने की स्थापना उत्तर प्रदेश में की जा रही है। इस मंत्रालय से सहायता प्राप्त 5 सूअर प्रसंस्करण संयंत्रों की स्थापना गुवाहाटी, नजीरा (असम), आइजोल (मिजोरम), दीमापुर (नागालैंड) और रायपुर (मध्य प्रदेश) में की जा रही है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, मिजोरम, असम, केरल आदि में छोटे और मझौले आकार के अनेक पॉल्ट्री प्रसंस्करण संयंत्रों की स्थापना मंत्रालय की सहायता से की जा रही है। आंध्र प्रदेश में चार अंडा प्रसंस्करण यूनिटों ने काम करना शुरू कर दिया है। अब तक इस क्षेत्र में कुल 47 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है जिनमें 1297 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश निहित है। मांस उत्पादों के निर्यात में निरन्तर वृद्धि हो रही है। वर्ष 1994-95 में 392 करोड़ रुपये मूल्य की तुलना में 1995-96 में लगभग 650 करोड़ रुपये के मांस और मांस उत्पादों का निर्यात किया गया। अनुमान है कि 1996-97 के अंत तक 700 करोड़ रु० का निर्यात किया जाएगा।

ग्रामीण इलाकों में फल और सब्जी प्रसंस्करण तथा अन्य प्रकार के खाद्य प्रसंस्करण में प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने और उद्यमशीलता के सृजन के लिए मंत्रालय ने आठवीं योजना के शुरू के 4 वर्षों में 204 खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना के लिए सहायता दी है। प्राप्त सूचना के अनुसार ऐसे 60 प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किए जा चुके हैं और उनमें 2 हजार से अधिक लोगों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। प्राप्त सूचना के अनुसार कुछ प्रशिक्षुओं ने अति लघु/लघु क्षेत्र में अपनी स्वयं की खाद्य प्रसंस्करण यूनिटें स्थापित कर ली हैं। वर्ष 1995-96 के दौरान देश में विभिन्न स्थानों पर स्थित 46 खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण केन्द्रों को यह सहायता दी जा रही है। वर्ष (12.3.97 तक) के दौरान इनमें से 18 खाद्य प्रसंस्करण एवं प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना के लिए सहायता दी गई है।

समुद्री उत्पाद के निर्यात में भी वृद्धि हो रही है। अप्रैल, 96 से जनवरी, 97 के दौरान 3219 करोड़ रुपये मूल्य के लगभग 292040 मी० टन० उत्पाद का निर्यात किया गया। अनुमान है कि 1996-97 के दौरान 3501 करोड़ रुपये मूल्य के 307368 मी० टन निर्यात की तुलना में 96-97 के दौरान 3850 करोड़ रु० मूल्य के समुद्री उत्पाद का निर्यात किया जाएगा।

Efforts of Govt. of India in general and that of Ministry of Food Processing Industries, in particular, have been fruitful. In the fruits & vegetable processing sector, the installed capacity, has increased from 17.50 lakh tons last year to 18.60 lakh tons as on 1st January this year. There has been a corresponding increase in the number of licences from 4368 to 4674 and of production from 8.57 lakh tonnes to an anticipated 9.60 lakh tonnes during the year under reference.

Besides this, 42 proposals for 100% EOUs/Joint Venture have been approved thereby raising the total approved proposals to 331 involving a total investment of about Rs. 4165 crores. Foreign equity investment in these projects works out to about Rs. 764 crores. The number of projects which have already gone into production is 42. Export of processed fruit and vegetable products during this period has also increased and it is estimated that by the end of the financial year it was of the order of Rs. 525 crores.

Consequent upon delicensing of milk products industry in July 1991, over 1005 IEMs upto December, 1996 have been filed by the entrepreneurs for establishment of milk & milk products manufacturing units. But, subsequently, in June, 1992, government promulgated the Milk and Milk Products Order under Section 3 of the Essential Commodities Act requiring traders and manufacturers using more than 10,000 Litres of milk per day to get themselves registered with the Milk Controller. This Order has since been modified. Delay in registration and allocation of milk sheds have caused certain setback in setting up the new units. However, a few units have reported to have started commercial production. Besides seven joint venture units with foreign collaboration for manufacture of milk casein, whey protein and lactose have been approved and are in the process of being set up. The total proposals approved in the sector so far are 18 with a total investment of approximately Rs. 715 crores.

In the meat & poultry processing sector, so far fifteen export-oriented units for processing of buffalo meat have started functioning. An Integrated abattoir in the private sector has recently been commissioned in Punjab. Another integrated abattoir is being set up in U.P. Five pork processing plants assisted by this Ministry are being set up at Guwahati, Nazira (Assam), Aizwal (Mizoram), Dimapur (Nagaland) and Raipur (M.P.). In addition, a number of small to medium size poultry processing plants, Modern Integrated Poultry Processing Plants are being established in Andhra Pradesh, Uttar Pradesh, Mizoram, Assam, Kerala etc. with the assistance provided by this Ministry. Four Egg Processing units have started functioning in Andhra Pradesh, Karnataka and Haryana and are exporting proposals to various countries. The total proposals approved so far in the sector are 47 with a total investment of Rs. 1297 crores. Export of meat products has been steadily increasing. In 1995-96, export of meat and meat products was Rs. 650 crores as against Rs. 392 crores in 1994-95. It is expected that by the end of 1996-97 export of animal products would be around Rs. 700 crores.

In order to promote technology and create entrepreneurship in the fruits & vegetable processing and other types of food processing in rural areas, Ministry in the first 4 years of the 8th Plan have provided assistance for setting up of 204 Food Processing Training Centres in almost all the states. As many as 60 such training Centres are reported to have been already established and training imparted to almost 2000 trainees. Some of the trainees are reported to have already established their own food processing units in tiny/small scale sector. During the year 1996-97, similar assistance is being extended for 46 FPTCs at various locations in the country. Out of them, during the year (as on 12.3.97) assistance has been provided for setting up of 18 FPTCs.

Export of marine products continued to show an increasing trend. During the period April 96 to January 1997 approximately 292040 metric tonnes of marine products were exported with a value of Rs. 3291 crores. It is expected that during 1996-97, the export of marine products will be of Rs. 3850 crores as against an export of 307368 metric tonnes valued at Rs. 3501 crores during 1995-96.

भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण भारतीय अनन्य आर्थिक क्षेत्र में समुद्री मात्स्यिकी संसाधनों के सर्वेक्षण और मूल्यांकन के लिए सरकार की एक नोडल एजेंसी है। इसने मत्स्यन संसाधनों के कारगर दोहन के लिए तटवर्ती भारतीय राज्यों और मत्स्यन जलयानों को महत्वपूर्ण सूचना देना जारी रखा। इस संस्थान को राष्ट्रीय समुद्री सूचना प्रणाली के तहत देश में गहन समुद्री मात्स्यिकी के एक डाटा सेन्टर के रूप में मान्यता दी गई है। यह आधुनिक प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण करने, "सिफनेट" कैडिट्स को सेवाकालीन प्रशिक्षण देने तथा भारत में दूना अनुसंधान पर कोलोव्यूम की कार्यवाही समेत महत्वपूर्ण सूचनाओं के प्रकाशन का काम करता है।

वर्ष 1992-93 से शुरू हुई आठवीं पंचवर्षीय योजना में मुख्य बल पूंजी निवेश और राष्ट्रीय विकास पर दिया गया है जिसमें सरकार की भूमिका एक मददगार के रूप में होगी। योजना में उन सार्वजनिक क्षेत्रों में पूंजी निवेश करने का कार्यक्रम है जहां निजी पहल की कमी है। प्रेरक के रूप में अपेक्षित प्रोत्साहन देने और इस क्षेत्र के विकास के लिए बुनियादी ढांचे के विकास में मदद देने का भी कार्यक्रम है। योजना आयोग ने वर्ष 1996-97 के लिए 45 करोड़ रुपये का योजना परिव्यय मंजूर किया था। पर बाद में उसे संशोधित करके 40 करोड़ रु० कर दिया है। विभिन्न क्षेत्रों के विकास के लिए तैयार की गई स्कीमों को लागू किया जा रहा है। विभिन्न स्कीमों के तहत दी जाने वाली सहायता का उल्लेख अगले अध्यायों में किया गया है।

राज्यों में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास के लिए केन्द्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित करने के लिए मंत्रालय के अनुरोध पर राज्यों ने नोडल एजेंसियां नामित की हैं। अनेक नोडल एजेंसियों को अपनी बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ करने, खासकर आंकड़ों को इकट्ठा करने, आंकड़ों के प्रबंधन आदि के लिए योजना सहायता भी दी गई है। मंत्रालय और राज्य की नोडल एजेंसियों के बीच निरन्तर सम्पर्क सुनिश्चित किया जाता है।

प्रसंस्कृत खाद्य के बारे में उपभोक्ताओं में सकारात्मक जागरूकता पैदा करने, इन खाद्यों की मांग को बढ़ावा देने और उपभोक्ताओं में एफ०पी०ओ० चिन्ह के अर्थ और उपयोगिता के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए मंत्रालय प्रसंस्कृत खाद्यों के व्यापक विज्ञापन संबंधी एक योजना स्कीम चला रहा है। 8वीं योजना के शुरू के दो वर्षों के दौरान मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए अभियानों की उपयोगिता को देखते हुए निर्णय लिया गया कि शेष अवधि में उद्योग संघों की सकारात्मक भागीदारी से मंत्रालय द्वारा दी जा रही वित्तीय सहायता, जिसे धीरे-धीरे कम किया जाएगा, द्वारा इन अभियानों को निरन्तर जारी रखा जाए।

राष्ट्रीय सूचना केंद्र, भारत सरकार के निकट सहयोग से मंत्रालय विभिन्न कार्यक्षेत्रों में सूचनाओं के कंप्यूटरीकरण के लिए लगातार कोशिश कर रहा है ताकि सरकारी सूचना प्रोग्राम के लिए एन० आई० सी० द्वारा उपलब्ध कराई गई "निकनेट" और "इंटरनेट" का इस्तेमाल करके कारगर स्टोरेज और सूचनाओं का विस्तृत प्रचार प्रसार किया जा सके। वर्ष के दौरान फल तथा सब्जी प्रसंस्करण के सभी क्षेत्रीय/उप कार्यालयों में एन० आई० सी० द्वारा एफ० पी० ओ० लाइसेंसिंग और मॉनिटरिंग के काम को कंप्यूटरीकृत करने की महत्वपूर्ण परियोजना सभी संबंधित कार्यालयों द्वारा सफलतापूर्वक पूरी कर ली गई है। हर कार्यालय में उपयोगकर्ता को एक सप्ताह का प्रत्यक्ष व्यवहारिक प्रशिक्षण भी दिया गया। एफ० पी० ओ० डाटाबेस के एक बार पूरी तरह से अद्यतन हो जाने पर एफ० पी० ओ० कार्यप्रबंध और मॉनिटरिंग के लिए समय पर फीडबैक सुनिश्चित करने में इस प्रणाली से बहुत सहायता मिलने की आशा है।

एन० आई० सी० द्वारा इंटरनेट आधारित अंतर्राष्ट्रीय इलैक्ट्रानिक मेलिंग और विश्व व्यापी वैबब्रोसिंग सुविधाओं की स्थापना की गई है ताकि कारगर अंतर्राष्ट्रीय संचार सुविधा और मंत्रालय के लिए अंतर्राष्ट्रीय सूचना बेस की तत्काल जरूरत को पूरा किया जा सके। मंत्रालय ने हाल ही में एन० आई० सी० के सी-वैब सरवर द्वारा इंटरनेट पर अपने "विश्व व्यापी वैब होम पेज" की शुरूआत की है। इससे विश्व समुदाय में मंत्रालय के कार्यों और नीतियों का प्रचार होगा और उसके फलस्वरूप भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग क्षेत्र में विदेशी पूंजी निवेश को आकर्षित में सहायता मिलेगी।

योजना स्कीम सहायता, औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन, सभी प्रकार के औद्योगिक अनुमोदनों (उदाहरण के लिए निर्यातोन्मुखी यूनिटें/संयुक्त उद्यम/विदेशी सहयोग/आशय पत्र/एफ० डी० आई० आदि) और संसद से संबंधित सूचनाओं आदि जैसे कुछ अन्य प्रमुख क्षेत्रों को कंप्यूटरीकृत किया जा चुका है।

सार्वजनिक क्षेत्र के दो उपक्रम अर्थात् माडर्न फूड (इं०) लि० तथा "नेरामक" ने चालू वित्तीय वर्ष में बेहतर कार्य किया। अनुमान है कि माडर्न फूड इंडस्ट्रीज (इं०) लि० अपने कारोबार में और वृद्धि करेगा तथा उसे चालू वित्तीय वर्ष में अधिक लाभ होगा। "नेरामक" ने भी अनानास रस सांद्रण के उत्पादन तथा कृषि उत्पाद के विपणन में पर्याप्त वृद्धि की है।

मंत्रालय ने बम्बई में एफ० एण्ड बी० टैक ट्रिपल एक्सपो, 96, बंगलौर में एक्सट्रीम फोकस, चण्डीगढ़ में एग्रो-टैक, पटना में एग्रो टैक और नई दिल्ली में लघु उद्योग एक्सपो, 96 जैसे कुछ महत्वपूर्ण कार्यों में निकट सहयोग दिया। मंत्रालय ने मदुरै (तमिलनाडु) में एम० ए० डी० आई० टी० एस० एस० आई० ए० द्वारा और बहरामपुर (उड़ीसा) में ओ० ए० एस० एम० ई० द्वारा, कलकत्ता और दिल्ली में खाद्य वैज्ञानिक और टैक्रॉलॉजिस्ट संघ द्वारा, कोयम्बतूर (तमिलनाडु) में लघु उद्योग उत्पाद संवर्धन संगठन द्वारा और नई दिल्ली में अखिल भारतीय खाद्य परिरक्षण संघ द्वारा आयोजित की गई प्रदर्शनियों/सेमिनारों आदि में सहयोग दिया।

The Fishery Survey of India is the nodal agency of the Govt. for survey and assessment of marine fishery resources of the Indian EEZ. It continues to give valuable inputs to maritime Indian States and Fishing vessels for effective exploitation of fishing resources. This Institute has been recognised as one of the data centres for deep sea fisheries in the country under the National Oceanic Information System. It transfers modern technologies and on-the-job training of candidates sponsored by CIFNET and publishes important information including proceedings of the colloquium on Tuna Research in India.

Eighth Five Year Plan began from the year 1992-93 with the basic thrust on stimulating and providing initiative for investment and national development with government acting as facilitator. The Plan envisages public sector investment in those areas where private initiative is lacking, provides requisite stimulus by way of catalyst investment as well as helps development of infrastructure for the growth of this sector. The Planning Commission has approved a Plan outlay of Rs. 45 crores for the year 1996-97 but revised subsequently to Rs. 40 crores. Schemes formulated for the development of different sectors are being implemented and assistance provided under the various schemes are indicated in subsequent chapters.

On the request of the Ministry, the States have nominated nodal agencies for coordinating with Central Government as well as the different Departments of the States for the purpose of development of food processing industries in the States. Plan assistance has also been provided to many nodal agencies for strengthening their infrastructure, particularly for data collection, data management, etc. Regular interaction between the Ministry and the State Nodal Agencies is ensured.

With a view to creating a positive consumer awareness about processed foods, stimulating demand for processed foods and enhancing awareness amongst consumers about what FPO symbol means and stands for, the Ministry has been operating a Plan Scheme on Generic Advertising of processed foods. Realising the usefulness of the campaigns organised by the Ministry during the first two years of the 8th Plan, a decision to continue the campaign in a sustained manner over a period of time with positive involvement of the industry associations with financial assistance being provided by the Ministry on a tapering basis was taken.

In close co-operation with the National Informatics Centre, Government of India, the Ministry has been making constant efforts to computerise informations in various functional areas, to facilitate efficient storage, retrieval and wide dissemination; through the use to NICNET and Internet facilities provided by NIC in support of Government Informatics program.

The important project taken up with NIC for computerising FPO Licensing & Monitoring activities in the F & V P regional/sub offices has been implemented successfully in all the concerned offices during the year. One weeks on site operational training was also imparted to users at each office. Once the FPO databases become fully upto date, the system is expected to be of great help in managing FPO activities and ensuring timely feedbacks for monitoring.

Internet based international electronic mailing and world wide web browsing facilities have also been set up by NIC, to cater to the urgent need for efficient worldwide communication facilities and access to the international information bases for the Ministry. Also, the Ministry has recently hosted its world Wide Web Home-page on Internet through C-Web server of NIC. This will give wide exposure to the world community about Ministry's activities and policies and there by, help in attracting foreign investments in FPI sector in India.

Some of the other major areas, which have already been computerised are: Plan-scheme assistance, Industrial Entrepreneur's Memoranda (IEMs), Industrial approvals of all kinds (eg: EOU/JV/FC/IL/FDI etc.) and parliament query informations etc.

Two Public Sector Undertakings viz., Modern Food Industries (India) Limited and North Eastern Regional Marketing Corporation Limited performed better in the current financial year. In the current

मंत्रालय ने केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान के घनिष्ठ सहयोग से खाद्य प्रसंस्करण संबंधी उपयुक्त प्रचार सामग्री प्रकाशित की है तथा राज्यों की नोडल एजेंसियों तथा अन्यो के द्वारा उनका प्रसार किया है।

भारतीय पैकेजिंग संस्थान, बंबई एवं केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, मैसूर के सहयोग से मंत्रालय ने प्रसंस्कृत खाद्यों की पैकेजिंग के विकास के लिए विभिन्न कार्यक्रम शुरू किए हैं। प्रमुख परियोजनाओं में सोयाबीन उत्पादों पर अनुसंधान एवं विकास, ताजे अंगूरों की पैकेजिंग, प्रसंस्कृत खाद्य उद्योग की पैकेजिंग पर रिपोर्ट और पैकेजिंग उद्योग की एक रूपरेखा शामिल है। खाद्य उत्पादों की पैकेजिंग के लिए अल्यूमिनियम डिब्बों के विकास पर एक और प्रमुख परियोजना भी इस मंत्रालय द्वारा प्रायोजित की गई है सी० एफ० टी० आर० आई०, मैसूर, आई० आई० पी०, बम्बई और डी० एफ० आर० एल०, मैसूर से सहयोग से अल्यूमिनियम केन्स में फल, सब्जी, मांस उत्पाद और डेयरी उत्पादों की पैकेजिंग के मानक विकसित कर रहा है।

मंत्रालय ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों हेतु एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के विकास और कृषि उत्पादों के निर्यात के मापदंडों की सिफारिश करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित की है। मंत्रालय ने परम्परागत खाद्य क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के उन्नयन के लिए भी एक समिति गठित की है ताकि निर्यात बाजार की जरूरतों को पूरा करने के लिए हाइजिन, पैकेजिंग और उत्पाद की शेल्फ-लाइफ को बेहतर बनाया जा सके। इस संबंध में बम्बई, लुधियाना, कोयम्बतूर, हैदराबाद, कलकत्ता में 5 क्षेत्रीय सेमिनार आयोजित किए गए हैं।

खाद्य प्रसंस्कृत उद्योग राज्य मंत्री की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल ने वाशिंगटन, (अमेरिका) में यू० एस० आई० सी० ए० (अमेरिकी पक्ष द्वारा इसे संयुक्त राज्य-भारतीय वाणिज्यिक सहयोग का नाम दिया गया) के नवीनीकरण पर विचार करने और चार उप समूहों के तहत उपर्युक्त निदेशों के बारे में सहमत होने के लिए भारतीय-अमेरिकी वाणिज्यिक सहयोग की बोर्ड मीटिंग में भाग लिया लिया। प्रतिनिधि मंडल ने भारत से प्रसंस्कृत खाद्य के निर्यात को बढ़ावा देने और भारत में पूंजी निवेश करने के लिए अमेरिका स्थित विभिन्न शहरों के विभिन्न कृषि कार्य संघों और कंपनियों और संघों से विचार-विमर्श भी किया। मंत्री महोदय ने सान्फ्रांसिस्को में "भारतीय दिवस समारोह" में भाग लिया। इस समारोह का मूल उद्देश्य अमेरिकी कंपनियों को कृषि खाद्य क्षेत्र में भारत में उपलब्ध अवसरों के बारे में बताना था। मंत्रालय ने विभिन्न संयुक्त आयोगों में भी भाग लिया और आस्ट्रेलिया, जापान, ग्रीस, उजबेकिस्तान, फिनलैंड, कोरिया, बुल्गारिया, वियतनाम और इटली के प्रतिनिधियों के साथ भी बैठक की ताकि खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में इन देशों के साथ परस्पर समन्वय का विकास किया जा सके।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री ने 16-18 जनवरी, 1997 को बर्लिन में अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन वीक-1997 प्रदर्शनी में भाग लिया। इस प्रदर्शनी का उद्देश्य आधुनिक कृषि की समस्याओं और विकास का एक व्यापक सर्वेक्षण प्रस्तुत करना तथा अनेक संस्थानों और कंपनियों के प्रतिनिधियों को अनौपचारिक संपर्क स्थापित करने के अवसर देना था। मंत्रालय ने नवम्बर, 1996 में ब्रूसेल्स में भारतीय ई०यू०-इन्वेस्टमेंट सेमिनार में भी भाग लिया। सेमिनार का आयोजन खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में भारत में पूंजी निवेश के अवसरों के बारे में सूचना का प्रसार करना था।

औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग, उद्योग मंत्रालय ने "एफ०आई०सी०सी०आई०" के सहयोग से 10-11 सितम्बर, 1996 को "डैस्टिनेशन इंडिया" नामक एक अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन किया। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने इसमें सक्रिय रूप से भाग लिया तथा खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में निवेश के अवसरों से संबंधित क्षेत्रवार प्रस्तुति का आयोजन किया। इसे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री ने संबोधित किया और इसमें भारी संख्या में विदेशी निवेशकर्ताओं ने भाग लिया।

financial year, MFIL is estimated to increase its turnover and is expected to make higher profits. NERAMAC has also increased its production of pineapple juice concentrate and marketing of agricultural produce substantially.

The Ministry is associated with some of important events like F&B Tech Tripple Expo'96 at Bombay, Extreme Focus held at Bangalore, Agro-Tech at Chandigarh, Agro-Tech at Patna and Small Industries Expo '96 at New Delhi. Also extended support for organising Exhibitions/Seminars by MADITSSIA at Madurai (Tamil Nadu) by OASME at Behrampur (Orissa), by Association of Food Scientists and Technologists at Calcutta & Delhi, by Small Industries Products Promotion Organisation at Coimbatore (Tamil Nadu), by All India Food Preservers Association at New Delhi etc.

The Ministry in close association with Central Food Technological Research Institute (CFTRI) has brought out suitable literature on Food Processing and have disseminated the same through the State Nodal Agencies and others.

In collaboration with IIP, Bombay & CFTRI, Mysore, the Ministry has taken up various programmes for the development of packaging of processed foods. The prominent projects include—R&D of Soyabean products, Packaging of fresh grapes, Report on packaging of processed food industry and a profile of Packaging Industry. Another prominent project on Development of Aluminium Cans for packaging food products has also been sponsored by this Ministry. CFTRI Mysore in collaboration with IIP, Bombay and DFRL Mysore are developing standards for packaging fruits, vegetable, meat products, and dairy products in aluminium cans.

Ministry has constituted an Expert Committee to recommend parameters for evolving a national perspective plan for food processing industries and export of agro-food products. The Ministry has also constituted a Committee to upgrade the technologies in the traditional food sector with a view to improve hygiene, packing and shelf life of products with a view to cater to the export markets. Five regional seminars have been held in this regard at Bombay, Ludhiana, Coimbatore, Hyderabad and Calcutta.

A High Level delegation headed by MOS(FPI) participated in the the Board meeting of the Indo-US Commercial Alliance held in Washington (USA) to consider renewal of the USICA (United States—India Commercial Alliance, as called by the US side) Agreement and to agree on appropriate directions under the four sub groups. The delegation also availed the opportunity to interact with various agri business associations and companies of USA based in different cities to attract their investment in India and to promote export of processed food from India. The Minister also participated in the India Day Function held at San Francisco. This function is basically meant for projecting India's opportunities in the Agro-Food sector among the US companies. The Ministry also participated in various Joint Commissions with, and meeting of delegations from Australia, Japan, Greece, Uzbekistan, Finland, Korea, Bulgaria, Vietnam and Italy to provide a fresh impetus to the growth on bilateral ties with each of these countries in the field of food processing.

MOS(FPI) had attended International Green Week 1997 Exhibition held in Berlin from 16-18th January 1997. The Exhibition was aimed to present a comprehensive survey of the development and problems of modern agriculture and to offer to the representatives of many institutions and companies, the opportunity to make informal contacts. Ministry had also participated in the India-E.U. Investment Seminar held at Brussels in November 1996. The seminar was organised with a view to disseminate information regarding opportunities available in India in the field of Food Processing Sector for foreign investment.

Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Industry in collaboration with FICCI had organised Destination India, a global summit on 10th and 11th September, 1996. Ministry of Food Processing Industries had actively participated in the summit and organised a sectoral presentation on investment opportunities in food processing sector. The sectoral presentation was addressed by MOS (FPI) and was attended by large number of foreign investors.

मंत्रालय ने व्यवहार्यता रिपोर्टों तथा विभिन्न खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना करने के लिए कदम उठाने हेतु विभिन्न राज्य संगठनों, सहकारिताओं तथा अन्य संगठनों को सहायता प्रदान की। मंत्रालय ने राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् के मार्फत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विभिन्न उप-क्षेत्रों के लिए कार्यनिष्पादन पुरस्कार की भी स्थापना की है। पता चला है कि विदेश स्थित भारतीय मिशनों, चैम्बर्स आफ कामर्स तथा इंडस्ट्री को भेजी गई मंत्रालय द्वारा प्रकाशित "भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग-निवेश के अवसर" नामक पुस्तक की प्रतियां बहुत लाभदायक सिद्ध हुई हैं।

इस उद्योग के कार्यनिष्पादन संबंधी सूचना का प्रचार-प्रसार करने की दृष्टि से मंत्रालय ने कच्चे माल की उपलब्धता, बनियादी सुविधाओं, नीतियों, कार्यविधियों सरकारी प्रोत्साहनों आदि पर एक विस्तृत सूचना पैकेज एफ०पी० इंडिया-94 तैयार किया है। इस पैकेज को अद्यतन कर दिया गया है और राज्य नोडल एजेंसियों तथा विदेश स्थित भारतीय मिशनों को भेजा गया है।

ग्रामीण क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी के प्रसार के लिए ऊर्जा खाद्यों, जैम तथा जैली, बड़ी तथा पापड़, रस्क्स और खोया तथा पनीर, चक्की, गजक और रेवड़ी, बिस्कुट, आलू केले और मटर को धूप में सुखाने, छोटे स्तर पर धान कुटाई, डबलरोटी, गोभी को धूप में सुखाने, सोयादूध, मुरमुरे बनस, फूटबार, टाफी और ओकरा को धूप में सुखाने पर मंत्राल ने अब तक हिंदी में 18 लघु फिल्में बनाई हैं। विभिन्न उत्पादों पर ऐसी 27 और फिल्में पूरी होने की विभिन्न अवस्थाओं में हैं।

Ministry provided assistance to various State organisations, Cooperatives and other organisations for feasibility reports and taking steps for establishment of various food processing industries. Ministry also established performance awards through the National Productivity Council for various sub-sectors of the food processing industries. Ministry's publication titled "Food Processing Industries in India—Investment Opportunities" which was sent to Indian Missions abroad, Chambers of Commerce and Industry was found to be very useful.

With a view to disseminate information on the performance of the industry, the Ministry prepared a detailed information package FP-India 94 on raw material availability, infrastructure, policies, procedures, State incentives etc. This package has been updated and has been sent to the State Nodal Agencies and Indian Missions abroad.

The Ministry has so far made Eighteen short films in Hindi with dubbings in 10 regional languages on Energy Foods, Jams & Jellies, Badi & Papad, Rusks and Khoya & Paneer, Chikkies, Gazaks and Rewries, Biscuits, Sundrying of Potatoes, Bananas & Peas; Flour Milling in Small Scale Bread; Sundrying of Cauliflower; Soya Milk; Puffed Rice; Buns; Fruit Bar; Toffees; and Sundrying of Okra for dissemination of technology in rural areas. 27 more such films on different products are at various stages of completion.

अध्याय-2

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का ढांचा और कार्य

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय समर्थ और गतिशील खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विकास के लिए एक केन्द्र के रूप में काम करता है। इस लक्ष्य को ध्यान में रखकर कृषि उपज तथा सहायक कार्यों को बढ़ाने, ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा करने, कृषि के विविधीकरण तथा वाणिज्यिकरण, फसल से पहले और फसल के बाद होने वाले नुकसान को कम करने तथा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए ऐसे उद्योगों का पता लगाया गया है जिनके पास पर्याप्त बैकवर्ड लिंकेज है। यह मंत्रालय देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार की केन्द्रीय एजेंसियों में से एक है जो राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और उद्देश्यों के अनुरूप निर्दिष्ट उद्योगों के बारे में नीतियों और योजनाओं को बनाने तथा लागू करने का काम करता है। यह मंत्रालय इन उद्योगों के स्वस्थ विकास, बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने जिनमें प्रौद्योगिकी का उन्नयन और गुणवत्ता के मानक लागू करना शामिल है, घरेलू बाजार का ध्यान निर्यात की ओर दिलाने तथा करों और शुल्कों को युक्तिसंगत बनाने के लिए एक प्रेरक नीति वातावरण तैयार करने का प्रयास करता है। इस प्रयास में जरूरत पड़ने पर राज्य सरकारों का सक्रिय सहयोग भी सुनिश्चित किया जाता है। मंत्रालय विदेशी सहयोग और निर्यातमुखी यूनिटों के आवेदनों पर भी कार्रवाई करता है और भावी उद्यमियों को सहायता उपलब्ध कराता है। इसलिए मंत्रालय के कार्यों को निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है।

- (1) विकासात्मक एवं उन्नायक
- (2) विनियमनकारी; और
- (3) तकनीकी और परामर्शी

ये कार्य केन्द्रीय और क्षेत्रीय संगठनों जिनमें विषय के विशेषज्ञ शामिल हैं, द्वारा किए जाते हैं। मंत्रालय के मौजूदा संगठन को दर्शाने वाला चार्ट संलग्न है। कर्मचारियों की संख्या मंत्रालय (मुख्यालय) की कुल स्वीकृत संख्या 169 है। 31.3.96 की स्थिति के अनुसार समूहवार पदों और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्यों द्वारा धारित पदों के ब्यौरे निम्नलिखित हैं:

पद ग्रुप	स्वीकृत पदों की संख्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति द्वारा धारित पदों की संख्या		
ग्रुप क	36	4	—
ग्रुप ख	53	10	3
ग्रुप ग	57	8	3
ग्रुप घ	23	6	—
कुल	169	28	6

CHAPTER II

STRUCTURE AND FUNCTIONS OF THE MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES

The Ministry of Food Processing Industries acts as a focal point for developing a sound and vibrant food processing industry. With this end in view, industries with adequate backward linkages are identified for improving productivity in agriculture and allied activities, generation of employment in rural areas, diversification and commercialisation of agriculture, reduction of pre and post harvest wastages and increasing export. This Ministry is one of the Central agencies of the Government for promotion of food processing industries in the country, which includes formulation and implementation of policies and plans in respect of specified industries within the national priorities and objectives. This Ministry endeavours to create a conducive policy environment for healthy growth of these industries, improve infrastructure, including upgradation of technology and enforcing quality standards, activating domestic market focus on export and rationalisation of taxes and duties. Whenever required the involvement of State Governments is also ensured. It processes applications for foreign collaborations and export oriented units and renders assistance to prospective entrepreneurs. The functions of the Ministry, therefore, can be classified as:—

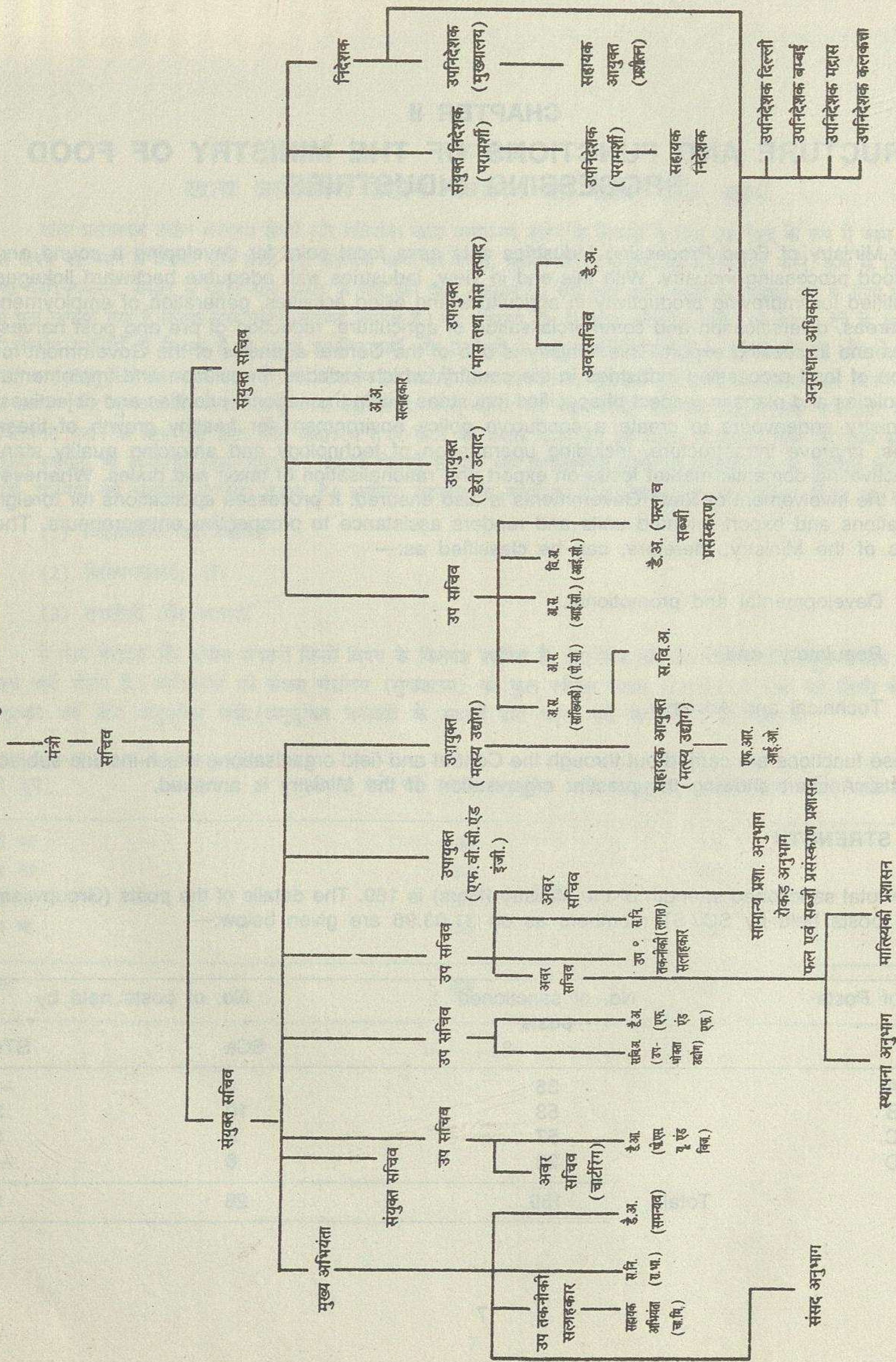
- i) Developmental and promotional,
- ii) Regulatory; and
- iii) Technical and Advisory.

These functions are carried out through the Central and field organisations which include subject specialists. A chart showing the present organisation of the Ministry is annexed.

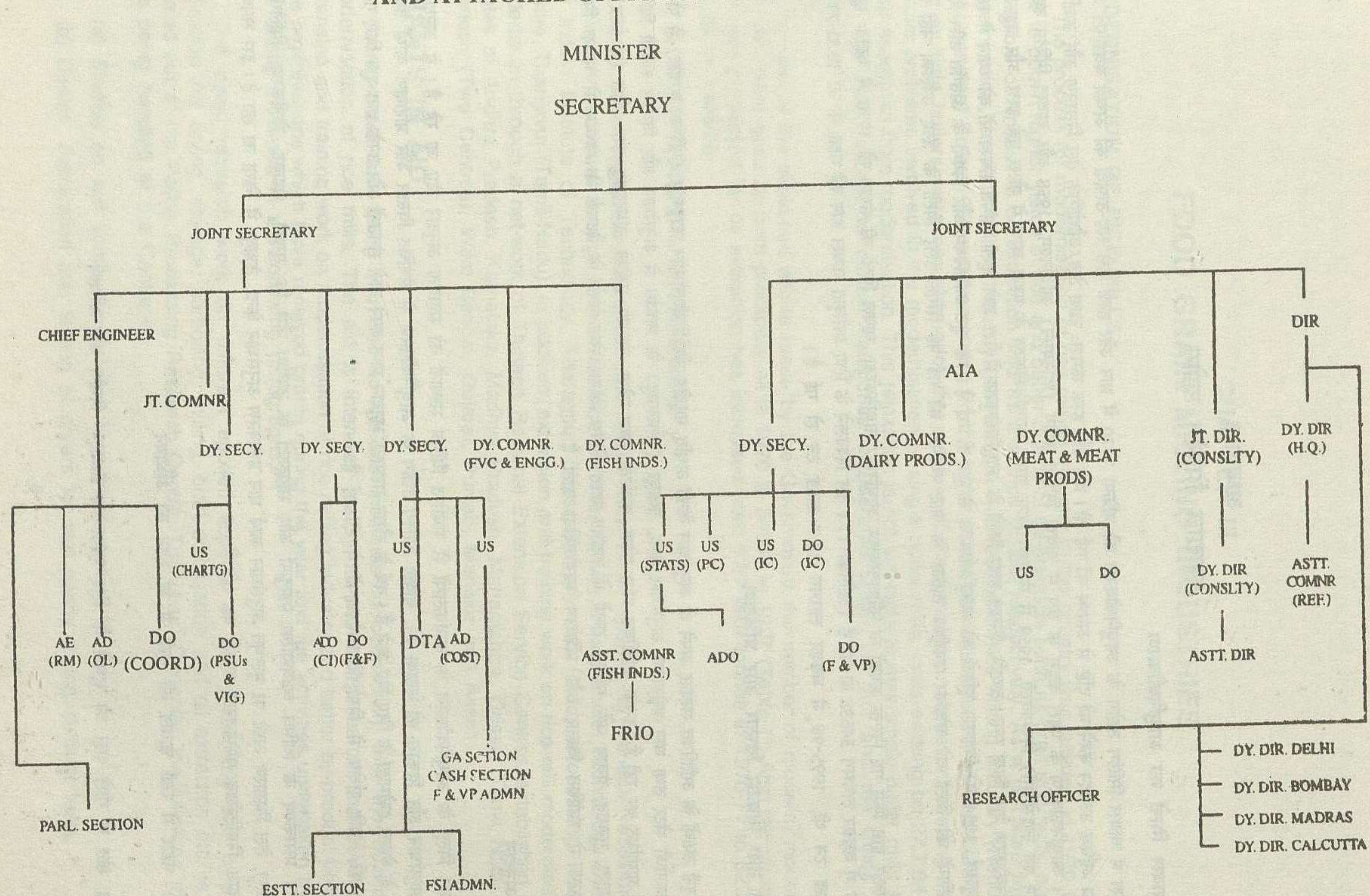
STAFF STRENGTH

The total sanctioned strength of the Ministry (Hqrs) is 169. The details of the posts (Groupwise) and the posts held by SC/ST members as on 31.03.96 are given below:—

Group of Posts	No. of sanctioned posts	No. of posts held by	
		SCs	STs
Group A	36	4	—
Group B	53	10	3
Group C	57	8	3
Group D	23	6	—
Total:	169	28	6



ORGANISATIONAL STRUCTURE OF MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES AND ATTACHED OFFICE AS ON 31-12-96



अध्याय-3 खाद्यान्न मिलिंग उद्योग

चावल मिलों का आधुनिकीकरण

देश में चावल मिलिंग उद्योग के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया 1970 में ब्रान और हस्क जैसे सह-उत्पादों की अच्छी क्वालिटी और चावल का अधिक उत्पादन करने की दृष्टि से आरम्भ की गई थी। ब्रान और हस्क क्रमशः खाद्य तेल/औद्योगिक तेल निस्सारण और ऊर्जा के साधन हैं। आधुनिकीकरण के पहले कदम के रूप में चावल मिलिंग उद्योग (विनियमन) अधिनियम, 1958 और चावल मिलिंग उद्योग (विनियमन एवं लाइसेंसिंग) नियमावली, 1959 में संशोधन किया गया। आधुनिकीकरण के पहले चरण में शेल्पर एवं हलर और बहुहलरों का आधुनिकीकरण शुरू किया गया। तथापि, सिंगल हलर मिलों के आधुनिकीकरण में पेश आने वाली विभिन्न समस्याओं को ध्यान में रखते हुए 27 जुलाई, 1984 को विद्यमान यूनितों को आधुनिकीकरण से छूट दी गई है। यह छूट अधिनियम और नियमों के अंतर्गत उल्लिखित कुछेक श्रेणियों की मिलों को छोड़कर उपर्युक्त तारीख के बाद स्थापित की गई नई सिंगल-हलर मिलों के लिए उपलब्ध नहीं है।

सरकार द्वारा किए गए निरन्तर प्रयत्नों के परिणामस्वरूप आधुनिक/आधुनिकीकृत चावल मिलों की संख्या जो 1970 में वस्तुतः शून्य थी, 1997 में बढ़कर लगभग 34688 हो गई है (तालिका-1)। तेल निकालने के लिए प्रसंस्कृत चावल ब्रान की मात्रा भी जो 1970-71 में 1.87 लाख टन थी, 1995-96 में बढ़कर लगभग 32.7 लाख टन हो गई है।

अनुसंधान तथा विकास विस्तार और प्रशिक्षण

कानूनी उपायों के अतिरिक्त सरकार अपने दो अनुसंधान केन्द्रों अर्थात् भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर (पश्चिम बंगाल) में पोस्ट हार्वेस्ट टैकालॉजी सेंटर तथा धान प्रसंस्करण अनुसंधान केन्द्र, तंजावुर (तमिलनाडु) के माध्यम से अनुसंधान और विकास संबंधी विभिन्न कार्यक्रमों को प्रायोजित कर रही है। इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश (दो केन्द्र), पश्चिम बंगाल, गुजरात, पंजाब और मणिपुर राज्यों में स्थापित बारह क्षेत्रीय विस्तार सेवा केन्द्रों के नेटवर्क के माध्यम से चावल मिल आधुनिकीकरण से संबंधित विस्तार और प्रशिक्षण कार्य किया जाता है।

सहायता अनुदान

चावल मिलों के आधुनिकीकरण के कार्यक्रमों से संबंधित विभिन्न संस्थानों को सहायता अनुदान दिए जा रहे हैं। ये अनुदान मुख्यतया अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने, चावल मिलिंग उद्योग के आधुनिकीकरण से संबंधित विस्तार और प्रशिक्षण कार्यों तथा सह-उत्पादों के बेहतर इस्तेमाल के लिए दिए जाते हैं। वर्ष के दौरान सहायता अनुदान प्राप्त करने वाले संगठनों और उनके द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रमों की स्थिति संक्षेप में निम्नलिखित पैराग्राफों में दी गई है:—

चावल प्रसंस्करण के विभिन्न व्यावहारिक पहलुओं और सहोत्पादों के उपयोग जैसे कि सुखाने, भंडारण, सेलीकरण, मिलिंग, ब्रान-स्थिरीकरण, तेल निस्सारण आदि पर मूलभूत अनुसंधान कार्य धान प्रसंस्करण अनुसंधान केन्द्र, तंजावुर में किया जा रहा है। इस समय इस केन्द्र द्वारा निम्नलिखित परियोजनाएं चलाई जा रही हैं:—

(क) भंडार में रखी चावल की भूसी में स्व दहन का अध्ययन

(ख) खेत में गीले धान को सुखाने के लिए ड्रायर का डिजाइन, निर्माण और परीक्षण

CHAPTER III

FOOD GRAIN MILLING INDUSTRIES

MODERNISATION OF RICE MILLS

The process for modernisation of rice milling industry in the country was initiated in 1970 with a view to obtain higher yields of rice and better quality of by-products such as bran and husk, suitable for edible oil/industrial oil extraction and as a source of fuel respectively. As a first step towards modernisation, the Rice Milling Industry (Regulation) Act 1958 and Rice Milling Industry (Regulation and Licensing) Rules 1959 were amended. In the initial phase of modernisation, shellers-cum-hullers and multiple hullers were brought under the purview of modernisation. However, keeping in view various problems involved in the modernisation of single huller mills, units existing on 27.7.84 have been exempted from modernisation. This relaxation is not available to new single huller mills set up after the date, except to certain categories enumerated under the Act and the Rules made thereunder.

In view of the sustained efforts made by the Government the number of modern/modernised rice mills have gone up from practically nil in 1970 to 34688 in 1997 (Table-1). Also the quantity of rice bran processed for oil extraction has increased from 1.87 lakh tonnes in 1970-71 to 32.7 lakh tonnes in 1995-96.

R & D EXTENSION & TRAINING

Apart from legislative measures, the Govt. has been sponsoring various research and development activities through its two research Centres, namely, Post Harvest Technology Centre in the Indian Institute of Technology, Kharagpur (West Bengal) and Paddy Processing Research Centre, Thanjavur (Tamil Nadu). In addition, extension and training work on rice mill modernisation is undertaken through a net-work of Thirteen Regional Extension Service Centres established in the States of Andhra Pradesh, Karnataka, Madhya Pradesh, Maharashtra, Orissa, Tamil Nadu, Uttar Pradesh (Two Centres), West Bengal, Gujarat, Punjab, Manipur and Assam.

GRANTS IN AID

Grants-in-aid are being provided to various institutes in connection with the activities of modernisation of rice mills. The aid is intended mainly to promote research and development extension and training work on modernisation of rice milling industry and better by-product utilisation. The organisations which have received grants during the year and the activities undertaken by them are briefly indicated in the following paragraphs:—

The basic research work on different applied aspects of rice processing and by-product utilisation like drying, storage, parboiling, milling, bran stabilisation and oil extraction etc. is being carried out at the Paddy Processing Research Centre, Thanjavur. Currently, the following projects are being handled at the Centre:—

- (a) Studies on self combustion of rice bran in storage.
- (b) Design, Fabrication and testing of dryers for wet paddy drying at farm level.

इस केन्द्र की स्थापना पंजीकृत सोसायटी के रूप में दिसम्बर, 1984 में की गई थी और इसने तंजावुर स्थित अपनी नई बिल्डिंग में दिसम्बर, 1987 में शिफ्ट कर लिया था। केन्द्र अपना अनुसंधान और विकास कार्य जारी रखे हुए हैं।

धान प्रसंस्करण अनुसंधान केन्द्र, तंजावुर के लिए दिसम्बर, 96 तक 15.00 लाख रुपए का अनुदान दिया गया है।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर स्थित पोस्ट हार्वेस्ट टैक्नोलॉजी केन्द्र इंजीनियरों, तकनीशियनों, आपरेटरों आदि को चावल और अन्य अनाज के प्रसंस्करण के संबंध में पोस्ट हार्वेस्ट के पहलुओं के बारे में प्रशिक्षण संबंधी सुविधाएं प्रदान करता है। यह केन्द्र पोस्ट हार्वेस्ट टैक्नोलॉजी में एम॰टेक॰, पी॰एच॰डी॰ और डाक्टरोत्तर पाठ्यक्रम और चावल मिलिंग में अल्पकालीन पाठ्यक्रम भी चलाता है। इस केन्द्र में कोलम्बो योजना के लिए विशेष राष्ट्रमंडल अफ्रीका सहायता योजना के अंतर्गत विदेशी नागरिकों के लिए विशेष पाठ्यक्रम भी चलाए जाते हैं। इस केन्द्र में इस समय 16 विद्यार्थी एम॰टेक॰, 25 विद्यार्थी पी॰एच॰डी॰ और दो डाक्टरोत्तर फैलो प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। अध्यापन कार्यों के अलावा, यह केन्द्र चावल प्रसंस्करण और सह-उत्पादों के उपयोग आदि से संबंधित इंजीनियरी पहलुओं पर अनुसंधान और विकास कार्य में भी लगा हुआ है।

इस केन्द्र को दिसम्बर, 96 तक 45.00 लाख रु॰ का अनुदान स्वीकृत किया गया है।

सेमिनारों, प्रदर्शन कार्यक्रमों, अल्पकालिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों, तकनीकी मार्गदर्शन, फिल्मों, इशतहारों आदि के माध्यम से प्रचार के द्वारा चावल मिलों के आधुनिकीकरण के लाभ और सह-उत्पादों के बेहतर उपयोग का प्रचार करने हेतु विभिन्न धान उत्पादक राज्यों में कृषि विश्वविद्यालयों/अनुसंधान संस्थाओं आदि के अधीन अब तक 13 क्षेत्रीय विस्तार सेवा केन्द्र स्थापित किए गए हैं। इन केन्द्रों के लिए मंत्रालय प्रारम्भ के पांच वर्ष से आठ वर्ष की अवधि के लिए धनराशि देता है और उसके बाद इन्हें, इनके मूल संस्थानों को सौंप दिया जाता है। ये तेरह केन्द्र आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश (दो केन्द्र), पश्चिम बंगाल, गुजरात, पंजाब, मणिपुर और असम में स्थापित किए गए हैं। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश (दो केन्द्र), पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में स्थापित केन्द्रों को अपनी गतिविधियां आगे भी जारी रखने के लिए मंत्रालय द्वारा शुरू में धनराशि उपलब्ध कराने के बाद संबंधित मूल संगठनों को सौंप दिया गया है।

इन केन्द्रों को दिसम्बर, 96 तक 4.75 लाख रु॰ का अनुदान दिया गया है।

हलर आधुनिकीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए 15 राज्यों में अर्थात् आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल, उड़ीसा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गुजरात, गोवा, हरियाणा, मणिपुर असम और संघशासित प्रदेश पाण्डिचेरी में "सिंगल हलरों के आधुनिकीकरण" की एक स्कीम कार्यान्वित की जा रही है। इस स्कीम के अंतर्गत प्रत्येक हलर मालिक को अपनी यूनिट का आधुनिकीकरण करने के लिए 1500/- रु॰ की सब्सिडी दी जाती है।

देश में बढ़िया किस्म की चावल मिलिंग और सहायक मशीनरी के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए देश के दक्षिण, पूर्वी, उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्रों में चार परीक्षण केन्द्र स्थापित किए गए हैं। ये क्रमशः कोयंबटूर, खड़गपुर, कानपुर और पुणे में स्थित हैं ये केन्द्र भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार चावल मिल मशीनरी की जांच का कार्य करने, मौजूदा मशीनरी में सुधार करने के बारे में सुझाव देने, निर्माताओं और मिल मालिकों को तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करने, मशीनरी के चयन, परिचालन और परिरक्षण के बारे में प्रशिक्षण सुविधाएं इत्यादि प्रदान करने का काम करते हैं।

इन केन्द्रों को दिसम्बर, 96 तक 12.25 लाख रुपए का अनुदान मंजूर किया गया है।

खाद्य इंजीनियरी केन्द्र:

वर्ष 1992-93 में सी॰एफ॰टी॰आर॰आई॰, मैसूर में एक खाद्य इंजीनियरी केन्द्र की स्थापना की गई है जिसके मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं:—

- (क) प्रक्रिया, उत्पाद और संयंत्र डिजाइन/रूपरेखा का तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन और सशक्त प्रायोगिक संयंत्र व अन्य इंजीनियरी अध्ययन के माध्यम से उनका इष्टतम उपयोग।
- (ख) परियोजना के कार्यान्वयन चरणों के दौरान उत्पादन केन्द्र के रूप में कार्य करके नए उत्पादों के परीक्षण-विपणन में सहायता देना और बाजार की प्रतिक्रिया के अनुरूप उत्पादन में संशोधन करना।

The Centre was formed as a registered society in December '84 and was shifted to its new building at Thanjavur in December '87. The Centre is continuing its research and development activities.

A grant of Rs. 15.00 lakhs has been released to the Paddy Processing Research Centre, Thanjavur upto December, 1996.

The Post Harvest Technology Centre at the Indian Institute of Technology, Kharagpur provides training facilities for engineers, technicians, operators etc. in the post harvest processing of rice and other cereal grains. It conducts M.Tech., Ph.D. and Post Doctoral courses in Post Harvest Technology, and short term courses in rice-milling, special courses under the Colombo Plan and Special Commonwealth African Assistance Plan (SCAAP) are also organised, for foreign nationals. At present 16 M.Tech, 25 Ph.D. and two Post Doctoral fellows are undergoing courses at the Centre. Besides teaching activities, the Centre is also engaged in research and development work on the engineering aspects of rice processing and by-product utilisation etc.

A grant of Rs. 45.00 lakhs has been sanctioned to the Centre during 1996.

Thirteen Regional Extension Service Centres have been set up so far in different paddy growing states under the Agriculture Universities/Research Institutions etc. to propagate the advantages of rice mill modernisation and better by-product utilisation through seminars, demonstrations, programmes, short-duration training courses, technical guidance, publicity through films, leaflets etc. These Centres are financed by the Ministry for an initial period of five to eight years after which they are handed over to the host organisation. These thirteen centres have been set up in the States of Andhra Pradesh, Karnataka, Madhya Pradesh, Maharashtra, Orissa, Tamil Nadu, Uttar Pradesh (Two Centres), West Bengal, Gujarat, Punjab, Manipur and Assam. The Centres at Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Uttar Pradesh (two) and West Bengal, Maharashtra and Madhya Pradesh have been handed over to the respective host organisations after initial funding by the Ministry for further continuance of their activities.

A grant of Rs. 4.75 lakhs has been released to the Centres upto December, 1996.

A Scheme on "Modernisation of single hullers" is being implemented in fifteen states viz., Andhra Pradesh, Maharashtra, Orissa, Tamil Nadu, Uttar Pradesh, West Bengal, Karnataka Madhya Pradesh, Gujarat, Goa, Haryana, Manipur, Kerala, Assam and U.T. of Pondicherry to encourage huller modernisation. Under this scheme, huller-owners are provided subsidy of Rs. 15000/- each for the modernisation of their units.

In order to encourage production of quality rice milling and allied machinery in the country, four testing centres have been set up in the southern, eastern, northern and western regions of the country. These are located at Coimbatore, Kharagpur, Kanpur and Pune respectively. These centres undertake testing of rice milling machinery according to the standards prescribed by the Bureau of Indian Standards, suggest improvements in existing machinery, offer technical guidance to manufacturers and millers, provide training facilities in selection, operation and maintenance of machinery etc.

A grant of Rs. 12.25 lakhs has been sanctioned to centres upto December, 1996.

FOOD ENGINEERING CENTRE

A Food Engineering Centre has been set up at C.F.T.R.I., Mysore in the year 1992-93 with the following major objectives:—

- (a) Techno-economic assessment of process, product and plant designs/profiles and their optimisation through pilot plant and other engineering studies.
- (b) Assistance in test-marketing of new products by serving as a production centre during the implementation stages of the project and product modifications to suit market response.

(ग) प्रचालकों, शिल्पवैज्ञानिकों और इंजीनियरों को संयंत्र प्रचालन, अनुरक्षण और प्रसंस्करण संयंत्र में गड़बड़ी को दूर करने में प्रशिक्षण।

केन्द्र ने क्रमिक आधार पर काम करना शुरू कर दिया है। सहायता, अनुदान सहायता के रूप में दी जाएगी।

गेहूं रोलर आटा मिलिंग उद्योग:

जुलाई, 1991 में नई औद्योगिक नीति की शुरुआत के बाद निम्नलिखित मामलों को छोड़कर नई रोलर आटा मिलों की स्थापना अथवा यूनिटों की विद्यमान क्षमता में विस्तार के लिए लाइसेंसिंग प्रणाली समाप्त कर दी गई है।

प्रस्तावित परियोजना 1991 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से अधिक की आबादी वाले शहर की मानक शहरी क्षेत्र की परिसीमा से 25 किलोमीटर के अन्दर स्थापित न की गई हो।

गेहूं उत्पादों को तैयार करने के लिए किसी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती। गेहूं उत्पादों के मूल्य और वितरण पर भी कोई नियंत्रण नहीं है। मिलों को अपनी आवश्यकता के अनुसार कहीं से भी गेहूं प्राप्त करने की स्वतंत्रता दी गई है ताकि कच्चे माल की आपूर्ति के लिए वे सरकार पर निर्भर न रहें। देश में प्रतिवर्ष लगभग 812 रोलर आटा मिलों द्वारा करीब 10.5 मिलियन टन गेहूं से विभिन्न गेहूं उत्पाद तैयार किए जाते हैं। (तालिका-2)।

दाल मिलिंग उद्योग:

भारत में दाल मिलिंग उद्योग, चावल और आटा मिलिंग के बाद सबसे बड़ा उद्योग है। अनुमान है कि 140 लाख टन उत्पादित दालों में से 75% दाल का प्रसंस्करण सम्पूर्ण देश में फैली लगभग दस हजार दाल मिलों द्वारा किया जाता है। इसके लिए दालों को विभिन्न स्तरों से गुजरना पड़ता है जैसे सफाई, फटकना, ग्रेडिंग, दलाई, छिल्का उतारना और पालिश करना। घर, कुटीर या लघु स्तर पर दाल मिलिंग के लिए देश में विभिन्न पद्धतियां अपनाई जाती हैं।

- (c) Training of operators, technologists and engineers in plant operation, maintenance and trouble shooting in process plants.

The Centre has started functioning in phases. The assistance will be provided in the form of Grant-in-aid.

WHEAT ROLLER FLOUR MILLING INDUSTRY

After introduction of the New Industrial Policy in July, 1991, licensing has been abolished for setting up of new roller flour mills or for expansion in the existing capacity of the units except in the following cases:—

The proposed project is not located within 25 Kms of the periphery of the standard urban area limit of a city having a population of more than 10 lakhs according to 1991 census.

No licence is required for manufacture of wheat products. There are also no controls on price and distribution of wheat products either. The mills have been given a free hand to obtain their requirements of wheat from any source, thereby avoiding their dependence on Government for the supply of raw materials. Nearly 10.5 million tonnes of wheat is converted into various wheat products by about 812 roller flour mills in the country every year (Table II).

PULSE MILLING INDUSTRY

Pulse milling industry is a major milling industry in India, next only to rice and flour milling. It has been estimated that out of the 14 million tonnes of pulses produced, 75% quantity is processed in about 10,000 dal mills scattered all over the country. Pulses are passed through several stages of precleaning, dehulling, grading, aspirating, splitting and polishing. Various methods are practiced in the country to mill pulses at home, and at cottage or small scale level.

तालिका-I

1.1.1997 को चावल मिलों की संख्या

क्रम सं०	राज्य का नाम	हलर्स	शेलर्स	हलर-सह- शेलर्स	आधुनिक / आधुनिकीकृत चावल मिलें	कुल
1.	आंध्र प्रदेश	4609	1776	2364	12995	21744
2.	असम	431	14	2133	242	2820
3.	बिहार	4749	63	9	51	4872
4.	गुजरात	1890	159	67	1045	3161
5.	हरियाणा	807	—	—	990	1797
6.	हिमाचल प्रदेश	890	1	3	222	1116
7.	जम्मू एवं कश्मीर	—	—	—	—	—
8.	कर्नाटक	9131	462	1103	3674	14370
9.	केरल	13664	—	13	2533	16210
10.	मध्य प्रदेश	3918	201	262	1661	6042
11.	महाराष्ट्र	8199	273	541	1759	10772
12.	मणिपुर	838	—	—	560	1398
13.	मेघालय	252	—	8	—	260
14.	नागालैंड	—	—	—	—	—
15.	उड़ीसा	6398	125	289	552	7364
16.	पंजाब	4416	442	—	1965	6823
17.	राजस्थान	152	2	6	193	353
18.	सिक्किम	17	—	—	—	17
19.	तमिलनाडु	13684	448	1324	3922	19378
20.	त्रिपुरा	1030	6	8	1	1045
21.	उत्तर प्रदेश	5707	562	150	1215	7634
22.	पं० बंगाल	9554	3	72	926	10555
23.	अंडमान एवं निकोबार	116	—	—	—	116
24.	अरुणाचल प्रदेश	1	—	—	—	1
25.	चंडीगढ़	16	—	—	11	27
26.	दादर एवं नगर हवेली	8	1	—	—	9
27.	दिल्ली	2	—	—	27	29
28.	गोवा	670	—	25	56	751
29.	मिजोरम	—	—	—	—	—
30.	पांडिचेरी	138	—	8	88	234
31.	लक्षद्वीप	—	—	—	—	—
कुल		91287	4538	8385	34688	138898

TABLE-I
NUMBER OF RICE MILLS AS ON 1.1.1997.

S.NO.	NAME OF STATE	HULLERS	SHELLERS	HULLER CUM SHELLERS	MODERN/ MODER- NISED RICE MILLS	TOTAL
1.	ANDHRA PRADESH	4609	1776	2364	12995	21744
2.	ASSAM	431	14	2133	242	2820
3.	BIHAR	4749	63	9	51	4872
4.	GUJARAT	1890	159	67	1045	3161
5.	HARYANA	807	—	—	990	1797
6.	HIMACHAL PRADESH	890	1	3	222	1116
7.	JAMMU & KASHMIR	—	—	—	—	—
8.	KARNATAKA	9131	462	1103	3674	14370
9.	KERALA	13664	—	13	2533	16210
10.	MADHYA PRADESH	3918	201	262	1661	6042
11.	MAHARASHTRA	8199	273	541	1759	10772
12.	MANIPUR	838	—	—	560	1398
13.	MEGHALAYA	252	—	8	—	260
14.	NAGALAND	—	—	—	—	—
15.	ORISSA	6398	125	289	552	7364
16.	PUNJAB	4416	442	—	1965	6823
17.	RAJASTHAN	152	2	6	193	353
18.	SIKKIM	17	—	—	—	17
19.	TAMIL NADU	13684	448	1324	3922	19378
20.	TRIPURA	1030	6	8	1	1045
21.	UTTAR PRADESH	5707	562	150	1215	7634
22.	WEST BENGAL	9554	3	72	926	10555
23.	ANDAMAN & NIKOBAR	116	—	—	—	116
24.	ARUNACHAL PRADESH	1	—	—	—	1
25.	CHANDIGARH	16	—	—	11	27
26.	DADAR & NAGAR HAVELI	8	1	—	—	9
27.	DELHI	2	—	—	27	29
28.	GOA	670	—	25	56	751
29.	MIZORAM	—	—	—	—	—
30.	PONDICHERRY	138	—	8	88	234
31.	LAKSHADWEEP	—	—	—	—	—
TOTAL		91287	4538	8385	34688	138898

तालिका-II

1.1.97 को देश में रोलर आटा मिलों की संख्या

क्रम सं०	राज्य का नाम	संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	58
2.	असम	40
3.	बिहार	58
4.	चंडीगढ़	5
5.	दिल्ली	18
6.	गोवा	2
7.	गुजरात	34
8.	हरियाणा	47
9.	हिमाचल प्रदेश	15
10.	जम्मू एवं कश्मीर	19
11.	कर्नाटक	60
12.	केरल	27
13.	मध्य प्रदेश	42
14.	महाराष्ट्र	63
15.	मणिपुर	1
16.	मेघालय	2
17.	नागालैंड	4
18.	उड़ीसा	19
19.	पांडिचेरी	3
20.	पंजाब	46
21.	राजस्थान	10
22.	सिक्किम	3
23.	तमिलनाडु	60
24.	त्रिपुरा	2
25.	उत्तर प्रदेश	125
26.	पं० बंगाल	49
कुल		812

TABLE-II
NUMBER OF ROLLER FLOUR MILLS IN THE COUNTRY
AS ON 01-01-1997

S No.	NAME OF THE STATE	NUMBER
1.	ANDHRA PRADESH	58
2.	ASSAM	40
3.	BIHAR	58
4.	CHANDIGARH	5
5.	DELHI	18
6.	GOA	2
7.	GUJARAT	34
8.	HARYANA	47
9.	HAMACHAL PRADESH	15
10.	JAMMU & KASHMIR	19
11.	KARNATAKA	60
12.	KERALA	27
13.	MADHYA PRADESH	42
14.	MAHARASHTRA	63
15.	MANIPUR	1
16.	MEGHALAYA	2
17.	NAGALAND	4
18.	ORISSA	19
19.	PONDICHERRY	3
20.	PUNJAB	46
21.	RAJASTHAN	10
22.	SIKKIM	3
23.	TAMIL NADU	60
24.	TRIPURA	2
25.	UTTAR PRADESH	125
26.	WEST BENGAL	49
TOTAL		812

अध्याय-4

उपभोक्ता खाद्य उद्योग

उपभोक्ता खाद्य उद्योग के अन्तर्गत मुख्यतया पास्ता उत्पाद, कोको आधारित उत्पाद, बेकरी उत्पाद, बिस्कुट, मृदु पेय इत्यादि जैसे खाने के लिए तैयार उत्पाद या पकाने के लिए तैयार उत्पाद आते हैं। इसके अलावा, इस प्रभाग द्वारा स्टार्च, ग्लूकोज इत्यादि जैसे उत्पादों को भी देखा जा रहा है क्योंकि खाद्य उत्पादों के लिए इनकी भी आवश्यकता होती है। अधिक पोषक तत्व वाले सोयाबीन के उत्पादों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है और उपभोक्ता उद्योग प्रभाग इस पहलू को भी देखता है। उल्लेखनीय है कि सरकार ने बीयर, पेय अल्कोहल और शराब को छोड़कर लगभग सभी खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को लाइसेंस मुक्त कर दिया है और लघु उद्योग क्षेत्र, में उत्पादन हेतु पूर्णतः आरक्षित उद्योगों के क्षेत्र को छोड़कर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के सभी क्षेत्रों में 51 प्रतिशत तक विदेशी निवेश की स्वतः अनुमति प्रदान कर दी है।

खाने के लिए तैयार खाद्य, सोया उत्पाद, कोको उत्पाद, अधिक प्रोटीन वाले खाद्य, मृदु पेय इत्यादि कुछ महत्वपूर्ण, प्रसंस्कृत खाद्य उद्योग हैं।

अनाज आधारित उत्पाद:

संभवतः भारत में बेकरी उद्योग प्रसंस्कृत खाद्य उद्योगों में सबसे बड़ा उद्योग है जिसका उत्पादन देश में लगातार बढ़ रहा है। ब्रेड तथा बिस्कुट ऐसे दो मुख्य बेकरी उत्पाद हैं जो कुल बेकरी उत्पादों का लगभग 82% हैं। ब्रेड तथा बिस्कुट दोनों का उत्पादन लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित हैं तथा आरक्षण नीति के कारण, उन उद्योगों में अत्याधुनिक तकनीक नहीं आ पाई है। बेकरी उत्पादों जिसमें ब्रेड, बिस्कुल पेस्ट्री, केक, बन, रस्क आदि आते हैं और जो अधिकतर असंगठित क्षेत्र में हैं, का वार्षिक अनुमानित उत्पादन 30 लाख टन से अधिक है। देश में संगठित तथा असंगठित दोनों क्षेत्रों में ब्रेड तथा बिस्कुट का उत्पादन क्रमशः 15 लाख टन तथा 11 लाख टन होने का अनुमान है। ब्रेड तथा बिस्कुट के कुल उत्पादन का लगभग 35% संगठित क्षेत्र तथा शेष 65% असंगठित क्षेत्र में तैयार किया जाता है।

एक अन्य गेहूं आधारित उत्पाद, जो पास्ता उत्पाद के प्रमुख नाम से जाना जाता है, जिसमें नूडल्स, वरमीसेली, मैकरोनी तथा स्पगेलीटी है, ख्याति प्राप्त कर रहा है। अनुमान है कि संगठित क्षेत्र में पास्ता उत्पाद तैयार करने की मौजूदा वार्षिक स्थापित क्षमता 34,000 टन से अधिक है।

वर्ष 1996-97 के दौरान, बेकिंग पाउडर, ब्रेड इम्प्रूवर, कम्पाउन्ड ब्रेड इम्प्रूवर तथा इडीबल रिलीज एजेंट बनाने हेतु विदेशी तकनीकी सहयोग हेतु एक आवेदन पत्र तथा 2061 टन की वार्षिक क्षमता से बिस्कुट के निर्माण हेतु सी० ओ० बी० लाइसेंस की स्वीकृति के लिए एक अन्य आवेदन पत्र को स्वीकृति दी गई है।

सोयाबीन उत्पादन:

प्रोटीन से भरपूर सोया आधारित उत्पादों के महत्व को ध्यान में रखते हुए सरकार इन उत्पादों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए प्रयास कर रही है। सोया आधारित उत्पादों को दिनांक 25.7.1991 की अधिसूचना संख्या 477(ई) के अनुलग्नक-3 में रखा गया है और यह उद्योग 51% तक विदेशी इक्विटी भागीदारी वाले विदेशी सहयोग के स्वतः अनुमोदन की पात्रता रखता है। संगठित क्षेत्र में 7 यूनिटें पहले ही विभिन्न सोयाबीन खाद्य उत्पादों का निर्माण कर रही हैं।

CHAPTER IV

CONSUMER FOOD INDUSTRIES

The consumer food industry mainly consists of ready-to-eat products or ready-to-cook products such as pasta products, cocoa based products, bakery products, biscuits, soft drinks, etc. Besides, products like starch, glucose, etc. which are also required for food products are also being looked after in this Division. The soyabean products which have a high nutritional value are also being promoted and Consumer Products Division looks into this aspect also. It may be mentioned that Government have delicensed almost all food processing industries except for beer, potable alcohol and wines. Automatic approval for foreign investment upto 51% has been introduced practically in all sectors of food processing industries except for those which are reserved exclusively for production in the small scale sector.

Some of the important processed food industries are ready-to-eat foods, soya products, cocoa products, high protein foods, soft drinks, etc.

Cereal Based Products:

Bakery industry in India is probably the largest among the processed food industries, the production of which has been steadily increasing in the country. The two major bakery industries, viz., bread and biscuits account for almost 82% of the total bakery products. Manufacture of both bread and biscuits are reserved for the small scale sector and because of the reservation policy, there has not been much indution of modern technology in these industries. The annual production of bakery products which include bread, biscuits, pastries, cakes, buns, rusks etc., most of which are in the unorganised sector, is estimated to be in excess of 30 lakh tonnes. The production of bread and biscuits in the country, both in the organised and unorganised sectors, is estimated to be about 15 lakh tonnes and 11 lakhs tonnes respectively. Of the total production of bread and biscuits, about 35% is produced in the organised sector and the remaining 65% is manufactured in the unorganised sector.

Another wheat based product, known by its generic name, i.e. pasta products comprising of noodles vermicelli, macaroni and spaghelti, is gaining popularity. The present annual installed capacity for manufacture of pasta products in the organised sector is estimated to be over 34000 tonnes

During the year 1996-97, one application for foreign technical collaboration for manufacture of baking power, bread improver, compound bread improver and edible release agent and another application for the grant of a COB licence for manufacture of biscuits with an annual capacity of 2061 tonnes were approved.

Soyabean Products:

Considering the importance of protein-rich soya based products, the Government is trying to promote manufacture of these products. Soya based products have been placed in Annexure-III to the Notification No. 477(E), dated 25.7.91 and the industry is eligible for automatic approval for foreign collaboration involving foreign equity participation upto 51%. There are seven units in the organised sector already manufacturing various soyabean food products.

कोको उत्पाद:

चाकलेट, पेय चाकलेट, कोको बटर, स्थानापन्न और कोको आधारित माल्टेड दुग्ध आहार जैसे कोको उत्पादों के निर्माण के लिए 20 यूनिटें कार्यरत हैं जिनके द्वारा लगभग 45,000 टन उत्पादन किया जाता है।

100% निर्यातोन्मुखी यूनिटें और विदेशी सहयोग:

उपभोक्ता उद्योगों की स्थापना के लिए लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती, किन्तु 100% निर्यातोन्मुखी यूनिटों की स्थापना के लिए सरकार से अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। सरकार द्वारा अप्रैल, 1996 से जनवरी, 1997 तक की अवधि के दौरान संसाधित और पिसे हुए गुआर गम, तथा चाकलेट स्प्रेड के निर्माण के लिए 100% निर्यातोन्मुखी यूनिटों की स्थापना के लिए 3 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। इसके अतिरिक्त अप्रैल, 1996 से जनवरी, 1997 तक की अवधि के दौरान विदेशी सहयोग और विदेशी इक्विटी भागीदारी के 17 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। समीक्षाधीन अवधि के दौरान कुल अनुमोदित निवेश 3508 करोड़ रु० के विदेशी निवेश समेत करीब 3660 रु० है।

बीयर तथा पेय अल्कोहल:

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय बीयर तथा गैर-शीरा आधारित पेय अल्कोहल हेतु प्रशासनिक मंत्रालय है। ये दोनों वस्तुएं भारत सरकार की अनिवार्य-लाइसेंसिंग के अन्तर्गत आती हैं। यद्यपि 100% निर्यातोन्मुखी इकाइयों के मामले को छोड़कर बीयर तथा पेय अल्कोहल (गैर-शीरा आधारित) बनाने हेतु औद्योगिक लाइसेंस की स्वीकृति हेतु नये प्रार्थना पत्रों पर क्रमशः 1.4.1991 तथा 16.3.1991 से विचार नहीं किया जा रहा है।

इस समय, भारत सरकार के लाइसेंस के अन्तर्गत 33 बीयर निर्माता इकाइयाँ हैं, जिनका अनुमानित निष्पादन 3.75 लाख कि०ली० प्रतिवर्ष है। बीयर उद्योग में स्वीकृत कुल विदेशी निवेश लगभग 118 करोड़ रुपये है।

भारत सरकार के अन्तर्गत इस समय शराब सहित स्कॉच व्हिस्की/गैर-शीरा आधारित पेय अल्कोहल का निर्माण 12 यूनिटें कर रही हैं। पेय अल्कोहल उद्योग में लगभग 222 करोड़ रु० के कुल विदेशी निवेश को अनुमोदित किया गया है।

Cocoa Products:

There are 20 units engaged in the manufacture of cocoa products, like chocolates, drinking chocolates, cocoa butter, cocoa butter substitutes and cocoa based malted milk foods with a production of approximately 45,000 tonnes.

100% Export Oriented Units & Foreign Collaborations:

While no licence is required for setting up of a consumer industry, proposals for setting up of 100% EOUs require the approval of the Government. During the period from April, 1996 to January, 1997 three proposals for setting up of 100% EOUs for manufacture of guar gum treated and pulverised, and guar splits have been approved by the Government. Apart from these, 17 proposals for foreign collaboration and foreign equity participation have been approved during April, 1996 to January, 1997. The total investment approved during the period under review is Rs. 3660 crores including foreign investment of Rs. 3508 crores.

BEER AND POTABLE ALCOHOL

The Ministry of Food Processing Industries is the Administrative Ministry for beer and non-molasses based potable alcohol. Both these items are under compulsory licensing of the Govt. of India. However, fresh applications for grant of Industrial Licence for the manufacture of beer and potable alcohol (non-molasses based) are not being entertained since 1.4.1991 and 16.3.1991 respectively, except in the case of 100% EOUs.

At present, there are 33 units manufacturing beer, under licence from Govt. of India, having an estimated output of 3.75 lac KL per annum. The total foreign investment approved in the beer industry is about Rs. 118 crores.

At present there are 12 units manufacturing scotch whisky/non-molasses based potable alcohol, including wines, under licence from the Govt. of India. The total foreign investment approved in the potable alcohol industry is about Rs. 222 crores.

अध्याय—5

फल एवं सब्जी प्रसंस्करण उद्योग

भारत भारी मात्रा में विभिन्न किस्म के फलों व सब्जियों का उत्पादन करता है जिससे यह जल्दी नष्ट हो जाने वाली परन्तु पौषणिक रूप से आवश्यक फसलों का उत्पादन करने वाला संसार का दूसरा बड़ा देश बन गया है। आशा है कि बागवानी करने वालों द्वारा अपनाए जा रहे बेहतर बागवानी तरीकों, अच्छी किस्म के बीजों और रोपण सामग्री से कुल उत्पादन और फसल में महत्वपूर्ण सुधार होगा। बागवानी उत्पाद की बड़ी मात्रा को घरेलू उपभोग तथा अन्य वाणिज्यिक इस्तेमाल के लिए सुखाने या अचार बनाने की सरल विधि द्वारा परिरक्षित किया जाता है। वाणिज्यिक प्रयोजन तथा मूल्यवर्धित खाद्य उत्पाद तैयार करने के लिए संगठित फल तथा सब्जी प्रसंस्करण क्षेत्र में, फल और सब्जी प्रसंस्करण का प्रतिशत देश में होने वाले कुल फल व सब्जी उत्पादन का करीब 1.8 प्रतिशत है जोकि इस मंत्रालय की स्थापना से पूर्व 0.5 प्रतिशत से कम था।

सरकार की उदारीकरण की नीति, इस उद्योग को उपलब्ध कराए गए प्रोत्साहनों के साथ-साथ सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों में परिवर्तन फल एवं सब्जी प्रसंस्करण उद्योग के लिए वरदान है। प्रसंस्कृत खाद्य की न केवल घरेलू खपत लगातार बढ़ रही है बल्कि उद्योग ने अपारम्परिक उत्पादों जैसे प्रसंस्कृत खुम्बी, गोरकिन्स आदि को शामिल करके निर्यात में विविधता को बढ़ाया है। अनुमान है कि इस साल उत्पादन में लगभग 13% वृद्धि हुई है।

फल एवं सब्जी प्रसंस्करण उद्योग की अनुमानित स्थापित क्षमता लगभग 19.1 लाख टन है जबकि पिछले वर्ष यह 17.06 लाख टन थी और पिछले वर्ष 8.50 लाख टन उत्पादन की तुलना में सदृश अवधि के दौरान लगभग 9.6 लाख टन उत्पादन होने का अनुमान है। इसी प्रकार अब तक के निष्पादन के आधार पर वर्ष 1996-97 में लगभग 525 करोड़ रु० मूल्य के फल उत्पादों का निर्यात होने का अनुमान है जबकि पिछले वर्ष 470 करोड़ रु० मूल्य का निर्यात किया गया था।

विनियमन तथा नियंत्रण

अनिवार्य वस्तु अधिनियम के तहत जारी फल उत्पाद आदेश-1955 को लागू करने के लिए मंत्रालय के नई दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास में एक-एक क्षेत्रीय कार्यालय हैं और लखनऊ में एक उपक्षेत्रीय कार्यालय है। फल उत्पाद आदेश (एफ०पी०ओ०) 1955 में विभिन्न फल उत्पादों के लिए अपेक्षित क्षेत्र, सफाई व स्वास्थ्यकर परिस्थितियों, प्रसंस्करण में उपयोग के लिए पानी, मशीनरी, उपकरणों और विभिन्न फल उत्पादों के लिए अन्य विनिर्दिष्टियों का उल्लेख है। इसलिए वाणिज्यिक उद्देश्य से फल उत्पाद तैयार करने के इच्छुक व्यक्तियों को फल उत्पाद आदेश, 1955 के तहत लाइसेंस प्राप्त करना पड़ता है जो यह सुनिश्चित करने के बाद दिया जाता है कि यूनिट क्षेत्र, सफाई व स्वास्थ्यकर परिस्थितियों, पेय जल, मशीनरी व उपकरणों आदि से संबंधित आवश्यकताओं को पूरा करती है। उपभोक्ताओं के संरक्षण के लिए उक्त आदेश के तहत लेबल संबंधी विनिर्दिष्टियों का भी उल्लेख किया गया है और निर्माताओं को मंजूरशुदा लेबलों के तहत ही उत्पादों की बिक्री करने की मंजूरी दी जाती है। फल उत्पाद आदेश, 1955 के तहत लाइसेंसों की संख्या 4674 हो गई है जबकि पिछले वर्ष यह 4368 थी। इसके अतिरिक्त जहां जरूरत हो वहां फल और सब्जी परिरक्षण निदेशालय निर्यात किए जा रहे उत्पादों की गुणवत्ता को प्रमाणित करने के लिए अनिवार्य प्रीशिपमेंट निरीक्षण करता है।

शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुखी यूनिटें:

फल एवं सब्जी प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना के लिए किसी औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती परन्तु शत प्रतिशत निर्यातोन्मुखी यूनिटों की स्थापना तथा लाइसेंस मुक्त करने के लिए निर्धारित मानदंडों के अंतर्गत न आने वाले अन्य ऐसे प्रस्तावों के लिए इस मंत्रालय की सिफारिशों पर आधारित सरकारी स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। अप्रैल 1996 से मार्च 1996 की अवधि के दौरान सरकार ने शत प्रतिशत निर्यातोन्मुखी यूनिटों/संयुक्त उद्यम परियोजनाओं की स्थापना के लिए 42 प्रस्तावों को मंजूरी दी है। जुलाई 1991 से लेकर अब तक दी गई ऐसी मंजूरीयों की संख्या 331 है। अब तक इस क्षेत्र में 764 करोड़ रु० के विदेशी निवेश समेत 4165 करोड़ रु० का निवेश मंजूर किया गया है। 42 शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुखी यूनिटों ने वाणिज्यिक उत्पादन शुरू कर दिया है।

CHAPTER V

FRUITS & VEGETABLE PROCESSING INDUSTRIES

India produces a wide range of fruits & vegetables in substantial quantities making it the second largest producer of these perishable, but nutritionally essential, crops in the World. It is expected that the improved horticultural practices, better quality seeds & plants material, which the horticulturists are adopting, would bring about a significant improvement in yields & overall production. A large quantity of the horticultural produce is preserved through simple process of drying or pickling for home consumption and also for other commercial use. The percentage of fruits & vegetables used by the processing industry for commercial purposes, and to make value added fruit products, is about 1.8% of total production of fruits & vegetables in the country as compared to less than 0.5% prior to formation of this Ministry.

The liberalised policies of the Government and the incentives provided for this industry coupled with changing socio-economic conditions have been a boon to the fruits and vegetable processing industry. Not only the domestic consumption of processed foods is steadily growing, the industry has increased the variety in their export basket by inclusion of non-traditional products like processed mushrooms, gherkins etc. The estimated growth of production this year is about 13%.

The estimated installed capacity of fruits and vegetable processing industry is about 19.1 lakh tonnes as against 17.6 lakh tonnes last year and the production for the corresponding period is expected to be about 9.6 lakh tonnes in comparison to 8.5 lakh tonnes last year. Like-wise, based on the performance so far, the export of fruit and vegetable products for the year 1996-97 is estimated to be worth around Rs. 525 crores as against Rs. 470 crores last year.

REGULATION AND CONTROL

To administer the Fruit Product Order (FPO) - 1955 promulgated under the Essential Commodities Act, the Ministry has one regional office each at New Delhi, Bombay, Calcutta, Madras and a sub-office at Lucknow. The Fruit Product Order, 1955 lays down the requirements of area, sanitary and hygienic conditions, water for use in processing, machinery, equipments and specifications for various fruit products. Thus, those who wish to manufacture fruit products for commercial purposes have to obtain a licence under the Fruit Product Order, 1955, which is granted after ascertaining that the unit meets the requirements in regard to area, sanitary, and hygienic conditions, potable water, machinery and equipment, etc. with a view to protect the consumer, the specifications for labels have also been laid and the products are allowed to be sold only under approved labels. The number of licencees under Fruit Products Order, 1955 stands increased to 4674 as against 4368 last year. Besides, enforcement of the F.P.O., 1955, compulsory pre-shipment inspection to certify the quality of products being exported is also carried out by the Directorate of Fruits and Vegetable Preservation, wherever required.

100% Export Oriented Units

While no industrial licence is required for setting up of fruit & vegetable processing industries, proposals for setting up of 100% EOUs and other such proposals which do not fall within the parameters of delicensing continue to require the approval of the Government based on the recommendations of this Ministry. During the period from April, 1996 to December 1996, 42 proposals for setting up of 100% EOUs/joint-venture projects have been approved by the Government. Number of such approvals since July, 1991 now stands at 331. The total investment approved in this sector so far is Rs. 4165 crores including foreign investment of Rs. 764 crores. Forty two 100% EOUs have already commenced commercial production.

फल एवं सब्जी प्रसंस्करण सैक्टर को दी गई योजना सहायता

फल एवं सब्जी प्रसंस्करण उद्योगों के सम्पन्न पेश आने वाली कुछ प्रमुख कठिनाइयों को दूर करने और इस उद्योग के विकास को आवश्यक गति प्रदान करने के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के पास फल एवं सब्जी प्रसंस्करण सैक्टर संबंधी अनेक योजना स्कीमें हैं। इनमें उद्यमियों के प्रशिक्षण, खुम्बी प्रसंस्करण, हॉप्स और औद्योगिक सम्पदा समेत फल व सब्जी प्रसंस्करण के लिए बुनियादी सुविधाओं के सृजन, फल व सब्जी प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना/विस्तार/उन्नयन और ठेका खेती के मायम से बैकवर्ड लिंकेज विकसित करने, विज्ञापन के माध्यम से बाजार संवर्धन, एफ०पी०ओ० चिन्ह को बढ़ावा देने और सामान्य ब्रांड नामों से छोटे निर्माताओं के उत्पादों के विपणन, गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं की स्थापना और पैकेजिंग सहित नई तकनीक और पद्धतियों का पता लगाने हेतु अनुसंधान व विकास संबंधी स्कीमें शामिल हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण और प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना संबंधी स्कीम के तहत क्वालिटी टैस्टिंग उपकरणों समेत संयंत्र, मशीनरी और उपकरणों आदि के लिए 2 लाख रु० तक और वाणिज्यिक उत्पादन के लिए मूल पूंजी/आवर्ती फंड के रूप में एक लाख रु० तक सहायता दी जाती है। बहु-उत्पादन क्रियाकलापों के लिए स्थापित किए जाने वाले खाद्य प्रसंस्करण और प्रशिक्षण केन्द्रों के मामले में क्वालिटी टैस्टिंग उपकरणों समेत संयंत्र व मशीनरी और उपकरणों की लागत को पूरा करने के लिए सहायता की इस राशि को 7.50 लाख रु० तक और वाणिज्यिक उत्पादन के लिए मूल पूंजी/आवर्ती फंड को 2 लाख रु० तक बढ़ाया जा सकता है। इस स्कीम के तहत राज्य/ केन्द्र सरकार के विभागों, संयुक्त क्षेत्र के उपक्रमों/सहायता प्राप्त क्षेत्र के उपक्रमों/सहकारिताओं, गैर-सरकारी संगठनों, स्वैच्छिक संगठनों, सरकारी संगठनों आदि को सहायता उपलब्ध है। इन केन्द्रों को उन उद्यमियों की खोज के लिए वित्त प्रदान करने का प्रस्ताव है जो ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण यूनिट स्थापित कर सकें जिससे स्वरोजगार दिया जा सके और ग्रामीण जनसंख्या के शहरी इलाकों में पलायन को कम किया जा सके। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिकी का हस्तांतरण भी होगा और आधुनिक प्रसंस्करण तकनीकों के बारे में भी पता चलेगा। ये खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण केन्द्र छोटी यूनिटों को चलाने और उनके प्रबंधन के बारे में व्यावहारिक अनुभव प्रदान करेंगे। प्रशिक्षणार्थी लेखा-जोखा रखने, निर्माण, गुणवत्ता नियंत्रण और उत्पादों के विपणन संबंधी प्रत्येक कार्यकलाप में भाग लेंगे ताकि उन्हें वास्तविक स्थितियों की जानकारी और अनुभव प्राप्त हो सके जिससे उनमें वाणिज्यिक उद्यम स्थापित करने व उसे चलाने हेतु विश्वास उत्पन्न होगा। इस प्रकार की शिक्षा से सहयोग की भावना भी उत्पन्न होगी और ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण सहकारिताओं के गठन को बढ़ावा मिलेगा।

आठवीं योजना के पहले 4 वर्षों में सभी राज्यों में ऐसे 204 केन्द्र स्थापित करने हेतु सहायता प्रदान की गई है। 1996-97 के दौरान (12 मार्च, 1997 तक), असम, बिहार, दिल्ली, कर्नाटक, केरल, उड़ीसा, पंजाब, तमिलनाडु व उत्तर प्रदेश राज्यों में ऐसे 18 केन्द्र स्थापित करने हेतु सहायता दी गई। आठवीं योजना के पहले तीन वर्षों में जिन 204 खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण केन्द्रों को सहायता दी गई थी, प्राप्त सूचना के अनुसार उनमें से 60 ने काम करना शुरू कर दिया है और 2000 से अधिक प्रशिक्षणार्थी उन केन्द्रों में प्रशिक्षण पा चुके हैं और प्राप्त सूचना के अनुसार उनमें से कुछ ने उत्पादन कार्य शुरू कर दिया है।

खुम्बी प्रसंस्करण, हॉप्स समेत फल व सब्जी प्रसंस्करण के लिए बुनियादी सुविधाओं के सृजन और औद्योगिक सम्पदा को स्थापित करने के लिए सहायता संबंधी स्कीम के तहत आठवीं योजना के पहले 4 वर्षों में आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उ० प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, मेघालय, नागालैंड और पश्चिम बंगाल से प्राप्त हुई कई परियोजनाओं को सहायता प्रदान की गई है। वर्ष 1996-97 (12.3.97 तक) के दौरान खुम्बी प्रसंस्करण यूनिट की स्थापना के लिए मणिपुर में एक गैर सरकारी संगठन को सहायता उपलब्ध कराई गई है। स्कीम के तहत रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान हिमाचल प्रदेश में ताजे और प्रसंस्कृत फल तथा सब्जियों की फसलोत्तर हैंडलिंग सुविधा की स्थापना के लिए संयुक्त क्षेत्र की यूनिट को भी सहायता दी गई है। इस अवधि के दौरान मेघालय में दो कोल्ड स्टोरेजों को भी सहायता उपलब्ध कराई गई है। अंगूर के निर्यात आदि के लिए महाराष्ट्र में दो सहकारिताओं को प्रीकूलिंग और कोल्डस्टोरेज सुविधाओं की स्थापना के लिए इस अवधि के दौरान सहायता उपलब्ध कराई गई है। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान मल्लापुरम में एक खाद्य प्रसंस्करण पार्क की स्थापना के लिए केरल को सहायता उपलब्ध कराई गई है।

Plan assistance provided to the Fruits & Vegetable Processing Sector.

In order to remove some of the major constraints affecting the fruit and vegetable processing industries and to provide the necessary impetus to its growth, Ministry of Food Processing Industries have several plan scheme in the fruits and vegetable processing sector. These include schemes for training of entrepreneurs, creation of infrastructural facilities for fruits and vegetables processing including mushroom processing, Hops and industrial estates, setting up/expansion/upgradation of F&VP units and development of backward linkages through contract farming, market promotion through advertisement, promotion of FPO symbol and marketing of small manufacturers' products under common brand name, setting up of Quality Control Labs and Research & Development in identifying new techniques and practices including those for packaging.

Under the scheme for setting up of Food Processing and Training Centres in rural areas, assistance is provided upto Rs. 2.00 lakhs for plant, machinery and equipments including quality testing equipments etc. and Rs. 1.00 lakh towards seed capital /revolving fund for commercial production. In the case of Food Processing & Training Centre to be set up for multi product activities, this quantum of assistance to meet the cost of plant & machinery and equipments including quality testing equipments etc. could be enhanced to Rs. 7.50 lakhs and the for seed capital/revolving fund for commercial production to Rs. 2.00 lakhs. Assistance under this scheme is available to State/ Central Govt. Depts., Joint Sector undertakings/assisted sector undertakings, cooperatives, non-governmental organisations, voluntary organisations, Govt. organisations etc. These Centres are proposed to be funded to identify the entrepreneurs who may set up Food Processing units in rural areas thereby providing self-employment and reduction in exodus of rural population to urban areas. It would also lead to transfer of technology to rural areas, as also familiarisation with modern processing techniques. These Food Processing & Training Centres will provide 'hands on' experience in operating and managing a small unit. The trainees will participate in each activity from book-keeping, manufacturing, quality testing to marketing of products so as to get an exposure of real situations which would instil confidence in them to set up and run commercial ventures. This type of education is also to generate a spirit of co-operation and encourage food processing co-operatives in rural areas.

In the first 4 years of the 8th Plan, assistance was provided for setting up of 204 such Centres covering almost all the States. During 1996-97 (upto March 12, 1997) assistance has been provided for setting up of 18 such Centre in the States of Karnataka, UP, Tamil Nadu, Assam, Himachal Pradesh, West Bengal, Orissa and Punjab. Out of the 204 FPTCs assisted in first 4 years of the 8th plan as many as 60 Centres are reported to have already become functional and more than 2000 trainees have already been trained in those Centres and some of them are reported to have already engaged themselves in production.

Under the scheme for providing assistance for creation of infrastructural facilities for fruits and vegetables processing including mushroom processing, hops and setting up of industrial estates, in the first 4 yrs of the 8th plan, assistance has been provided for a number of projects received from Andhra Pradesh, Maharashtra, UP, Punjab, Himachal Pradesh, Tamil Nadu, Karnataka, Bihar, Haryana, Madhya Pradesh, Orissa, Meghalaya, Nagaland and West Bengal. During the year 1996-97, (upto 12.3.97) assistance has been provided to one Non-Governmental Organisation in Manipur for setting up of Mushroom processing unit. Under the scheme, assistance has also been provided to a joint sector unit for setting up of post-harvest handling facilities for fresh and processed fruits and vegetables in Himachal Pradesh during the period under report. During this period assistance has also been provided to two cold storages in Meghalaya. Assistance has been provided during this period for setting up of pre-cooling and cold storage facilities to two cooperatives in Maharashtra for grapes for exports etc. During the period under report assistance has been provided to Kerala for setting up of Food Processing Park in Mallappuram.

फल व सब्जी प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना/विस्तार/उन्नयन और किसानों व प्रसंस्करणकर्ताओं के बीच बैकवर्ड लिंकेज स्थापित करने हेतु स्कीम के तहत राज्यों में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम व पूर्वोत्तर राज्यों से), सहकारी समितियों, स्वैच्छिक संगठनों/स्वायत्तशासी समितियों, संयुक्त क्षेत्र के उपक्रमों, गैर सरकारी संगठनों और निजी क्षेत्र के उपक्रमों आदि को सहायता दी गई है। अब तक आंध्र प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, नागालैन्ड, मणिपुर, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और केरल आदि से प्राप्त अनेक परियोजनाओं को सहायता दी गई है। इन राज्यों के लिए जिन फल व सब्जी प्रसंस्करण यूनिटों को सहायता दी गई थी, प्राप्त सूचना के अनुसार उनमें से 6 पूरी हो चुकी हैं और शेष फल व सब्जी प्रसंस्करण परियोजनाएं कार्यान्वयन की विभिन्न अवस्थाओं में हैं। अगले वर्ष के अंत तक इन परियोजनाओं को पूरा कर लेने की आशा है।

बैकवर्ड लिंकेज को मजबूत करने और ठेके पर खेत को प्रोत्साहित करने के लिए अब तक 12 प्रसंस्करण कम्पनियों को सहायता दी गई है जिनमें से कर्नाटक में 3, पंजाब में 2, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में दो-दो तथा उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और असम में एक-एक स्थित हैं। ये फल व सब्जी प्रसंस्करण यूनिटें ठेके पर खेती कर रही हैं। प्राप्त सूचना के अनुसार 5000 से अधिक किसानों को ठेका खेती के कार्य क्षेत्र के अधीन लाया जा चुका है।

प्रसंस्करण उद्योग द्वारा ठेके पर खेत को अपनाने से लिए प्रसंस्करण उद्योग को कच्चे माल की बढ़िया और नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु फल व सब्जी प्रसंस्करण में बैकवर्ड लिंकेज को मजबूत करने हेतु उपस्कीम के तहत सहायता प्रदान की गई है। इस योजना के तहत किसी एक वर्ष में कम से कम 25 किसानों के साथ ठेका खेती करने पर खरीद मूल्य के 5% तक जिसकी अधिकतम सीमा सालाना 10.00 लाख रु० प्रति प्रसंस्करण यूनिट है, 3 वर्ष के लिए सहायता दी जाती है।

अनुसंधान और विकास स्कीमें

मंत्रालय फल व सब्जी प्रसंस्करण क्षेत्र में अनुसंधान व विकास परियोजनाओं के लिए भी सहायता प्रदान करता है। 8वीं योजना में निम्नलिखित परियोजनाओं के लिए सहायता उपलब्ध कराई गई है:

1. प्रौद्योगिकी विकास केन्द्र, बंगलौर को विश्लेषण और गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला की स्थापना के लिए।
2. 'एपीडा', नई दिल्ली को आम और अन्य फलों के निर्यात हेतु वैपर हीट ट्रीटमेंट फैसिलिटी के लिए।
3. मैसर्स फ्रेश मार्किटिंग कोआपरेटिव सोसायटी लि०, हैदराबाद को खाद्य और कृषि संगठन से प्राप्त सोलर रेफ्रिजरेशन यूनिट की स्थापना के लिए।
4. फसलोत्तर संस्थान, पुणे।
5. डा० सुभाष मुखर्जी मैमोरियल रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी रिसर्च, सेंटर, कलकत्ता को "द्विन स्क्रू कुकर प्रोटो-टाइप" के लिए।
6. क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला (वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद) त्रिवेंद्रम को फ्रेश फ्लैवर्ड जिंजर आलियोरैजिन संबंधी पायलट परियोजना के लिए।
7. केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान (सी०एफ०टी०आर०आई०), मैसूर को फूड सेफ्टी बायोटेक्नालाजी अनुसंधान केन्द्र परियोजना के लिए।
8. डा० सुभाष मुखर्जी मैमोरियल रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी रिसर्च सेंटर, कलकत्ता को द्विन सोलर कुकर प्रोटोटाइप के लिए।
9. केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, मैसूर को भौतिक-रसायन और एंजाइमेटिक सुधारों द्वारा सरफेस प्रापटिज़ बढ़ाने के लिए सस्ते साधनों से प्रोटीन का इस्तेमाल।

Under the scheme for setting up/expansion/upgradation of fruits and vegetable processing units and backward linkage between the processors and the farmers etc., assistance is provided to State Public Sector Undertakings (from J&K, H.P., Sikkim, and North-Eastern States), Cooperative Societies, Voluntary Organisations/Autonomous Societies, Assisted/Joint Sector Undertakings, Non-Governmental Organisations and Private Sector Undertakings etc. So far, assistance has been released to a number of projects received from Andhra Pradesh, Assam, Himachal Pradesh, U.P., Nagaland, Manipur, Haryana, Madhya Pradesh, Himachal Pradesh, Bihar, Orissa, West Bengal, Karnataka and Kerala etc. 6 of the F&VP units assisted for these states are reported to have already been commissioned and the remaining F&VP projects are at various stages of implementation. These projects are expected to be completed by the end of the next year.

For strengthening of backward linkages and encouraging contract farming, so far, as many as 12 processing companies have been provided assistance—3 in Karnataka, —2 in Punjab, 2 each in Andhra Pradesh & Maharashtra and 1 each in U.P., Tamilnadu and Assam. These F&VP units have adopted contract farming. It is reported that more than 5000 farmers have been brought under the umbrella of the contract farming.

Assistance under the sub-scheme for strengthening of backward linkages in F&VP is provided to ensure regular supply as well as right quality of raw materials to the processing industries by adopting contract farming by the processing industries. Under this scheme, assistance is provided for contract farming with at least 25 farmers upto 5% of the total purchase made in a given year subject to a ceiling of Rs. 10.00 lakhs per unit per annum for a total period of three years to each processing company.

RESEARCH AND DEVELOPMENT SCHEMES

Ministry also provides assistance for research and development projects in fruits and vegetable processing sector. In the 8th Plan, assistance has been provided for the following R&D projects:

1. Centre for Technology Development, Bangalore for Setting up of an Analytical and Quality Control Lab;
2. APEDA, New Delhi for Vapour Heat Treatment Facilities for mangoes and other fruits for exports; and
3. M/s. Fresh Marketing Cooperative Society Ltd., Hyderabad, for installation of a Solar Refrigeration Unit received from FAO.
4. Post-harvest Institute, Pune.
5. Dr. Subhas Mukherjee Memorial Reproductive Biology Research Centre, Calcutta for Twin-Screw Cooker Proto-type.
6. Regional Research Laboratory (CSIR) Trivandrum- Pilot project for fresh flavoured ginger Oleoresin.
7. Central Food Technological Research Institute (CFTRI), Mysore- Food Safety Biotechnology Research Centre Project.
8. Dr. Subhas Mukherjee Memorial Reproductive Biology Research Centre, Calcutta for Twin - Solar Cooker Proto - Type.
9. Central Food Technological Research Institute (CFTRI), Mysore - Utilization of Protein from inexpensive Sources for enhancing the Surface properties by physico-chemical and enzymatic modifications.

अध्याय 6

दूध और दूध उत्पाद

भारतीय डेरी उद्योग ने 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान काफी विकास किया है। भारत अब विश्व में दूध उत्पादन करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश है। 1947 से 1970 के दौरान दूध उत्पादन लगभग स्थिर रहा। उस दौरान वार्षिक वृद्धि दर केवल 1% थी लेकिन तब से लेकर 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वृद्धि दर 4.5% हो गई है। अनुमान है कि 8वीं योजना के अंत तक (1996-97) 68 मिलियन टन दूध उत्पादन और प्रति दिन 200 ग्राम दूध की पौषणिक आवश्यकता की तुलना में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 204 ग्राम दूध उपलब्ध कराने के लक्ष्य प्राप्त कर दिए जाएंगे।

इसी तरह वर्ष 1995 में 2,00,000 टन शिशु आहार समेत दूध पाउडर के उत्पादन की तुलना में वर्ष 1996 में 2,10,000 टन उत्पादन करने का अनुमान है और अनुमान है कि वर्ष 1995 में 48 हजार टन माल्टेड फूड उत्पादों के उत्पादन की तुलना में वर्ष 1996 में उत्पादन बढ़कर 53 हजार टन हो जाएगा। वर्ष 1996 के दौरान अनुमान है कि पनीर (चीज़ स्प्रेड समेत) और कन्डेन्स मिल्क का क्रमशः 4 हजार टन और 9300 टन उत्पादन होगा।

भारत सरकार द्वारा 1991 में घोषित उदारीकृत औद्योगिक नीति के फलस्वरूप टैक्नोलोजी और मशीनरी का आयात आसान हो गया है। इसलिए अब उद्योग खाद्य केसिन, फार्मास्यूटिकल ग्रेड, लेक्टोस और व्हे प्रोटीन कंस्ट्रेंट तथा अन्य मूल्यवधि उत्पादों जैसे नये उत्पादों को बनाने लगे हैं जिनका निर्यात किया जा सकता है और जो आयात की जाने वाली वस्तुओं की जगह प्रतिस्थापित किए जा सकते हैं। ऐसी 2 परियोजनाएं निजी क्षेत्र में महाराष्ट्र और पंजाब में कार्यान्वित और शुरू की गई हैं। डेरी उद्योग के इतिहास में भारत पहली बार 1996 के दौरान विभिन्न देशों को लगभग 2 हजार टन केसिन का निर्यात करने की स्थिति में हुआ है। इससे अनुमान है कि 30 करोड़ रुपये मूल्य की विदेशी मुद्रा अर्जित की गई है। केसिन, लेक्टोस और व्हे प्रोटीन कंस्ट्रेंट तैयार करने के लिए उत्तर प्रदेश में दूसरी परियोजना 1997 के शुरू में चालू की जाएगी।

राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि के फलस्वरूप दूध से बनने वाली वस्तुओं की मांग बढ़ेगी। 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मांग को पूरा करने के लिए कतिपय उत्पादों के लिए निम्नलिखित उत्पादन लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं:—

क्रम सं०	उत्पाद	यूनिट	वर्ष 2001-2002 के लिए लक्ष्य
1.	मिल्क पाउडर (बेबी फूड समेत)	000 मी० टन	300
2.	चीज़	000 मी० टन	20
3.	माल्टेड फूड उत्पाद	000 मी० टन	80
4.	केसिन	000 मी० टन	8
5.	लेक्टोज़	000 मी० टन	10

CHAPTER VI

Milk & Milk Products

The Indian Dairy Industry has achieved substantial growth during the 8th Five Year Plan. India is now the second largest milk producing country in the world. Milk Production which was almost stagnant between 1947 and 1970 with an annual growth rate of merely 1% has since then registered a growth rate of 4.5% during the 8th Five Year Plan. Milk production target of 68 million tonnes at the end of 8th Plan (1996-97) is likely to be achieved with per capita availability of milk as 204 gms/day against nutritinal requirement of 200 gms per day.

Similarly, there has been increase in the estimated production of milk powders including infant milk food from 2,00,000 tonnes in the year 1995 to 2,10,000 tonnes in the year 1996 and the estimated production of malted food products has increased from 48,000 tonnes in the year 1995 to 53000 tonnes in the year 1996. The production of cheese (including cheese spread) and condensed milk is estimated at 4000 tonnes and 9300 tonnes respectively during the year 1996.

As a result of liberalised industrial policy announced by the Govt. of India during the year 1991, import of technology and machinery has become easier. This has resulted in the industry taking up manufacture of new products like edible casein, pharmaceutical grade lactose and whey protein concentrate and other high value added products, which are export oriented and import substitute items. Two such projects have been implemented and commissioned in Maharashtra and Punjab in private sector. First time in the history of dairy industry India has been in a position to export an estimated quantity of 2000 tonnes of casein during the year 1996 to various countries thus earning foreign exchange worth Rs. 30 crores (estimated). The third project in U.P. is due to be commissioned during early 1997 to manufacture Casein, Lactose and Whey protein concentrate.

The demand of milk products would increase as a result of increase in national GDP. In order to meet the demand during 9th Five Year Plan, the following production targets are estimated in certain products:—

S. No.	Products	Unit	Target for the year 2001-2002
1.	Milk Powder (including Baby food)	'000 MT	300
2.	Cheese	'000 MT	20
3.	Malted Food Products	'000 MT	80
4.	Casein	'000 MT	8
5.	Lactose	'000 MT	10

अध्याय-7

मांस एवं पाल्द्री प्रसंस्करण

मांस उत्पादन

जिन जानवरों का मांस के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है उनमें भेड़ और बकरी, गाय-बैल, भैंस, सूअर तथा पाल्द्री शामिल हैं। देश के कुछ भागों में, विशेषकर पूर्वोत्तर में जानवरों की अन्य प्रजातियों जैसे मिथुन का मांस भी पशु मांस के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। हाल के वर्षों में कुछ राज्यों में जैसे केरल में खरगोश का इस्तेमाल भी पशु मांस के रूप में किया जा रहा है। नीचे दी गई तालिका में तीन वर्षों के दौरान प्रजातियों द्वारा उत्पादित मांस और मांस उत्पाद दिया गया है।

	(हजार टन में)		
	1992	1993	1994
मटन और बकरी मांस	621	623	636
सूअर मांस	361	366	366
चिकन (पाल्द्रीमीट)	362	382	442
कैटल (गौ-मांस)	1216	1215	1290
भैंस-मांस	1182	1182	1200

देश में कुल 3.9 मिलियन मी० टन मांस का उत्पादन किया जाता है। पशु-तादा की तुलना में लगभग 6% गायों का, 10% भैंसों का, 99% सूअरों का, 31% भेड़ों का और 39% बकरियों का वध किया जाता है।

मांस प्रसंस्करण:

देश में 3600 बूचडखानों के अतिरिक्त 6 आधुनिक कसाईखाने हैं। संयुक्त उद्यम के तहत एक और एकीकृत भैंस-मांस प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त लगभग 25 मांस प्रसंस्करण एकक हैं जिनमें मुख्य रूप से मांस उत्पादों के निर्यात में संलग्न पन्द्रह 100% निर्यातोन्मुखी एकक शामिल हैं। इसके अलावा, 128 मांस उत्पाद प्रसंस्करण संयंत्र केवल घरेलू खपत के लिए मूल्य वर्धित मांस उत्पाद तैयार कर रहे हैं। कुछ पशु केजिंग एकक भेड़ और बकरी और गाय-बैल की आंतों को एकत्र करने, साफ करने, श्रेणीकरण करने तथा निर्यात करने में संलग्न हैं।

सूअर मांस प्रसंस्करण

चौथी पंचवर्षीय योजना में स्थापित 7 बेकन फैक्टरियों के अतिरिक्त 5 सूअर मांस प्रसंस्करण संयंत्र गुवाहाटी और नजीरा (असम), दीनापुर (नागालैंड) और रायपुर (म० प्र०) में स्थापित किए जा रहे हैं। एक सूअर मांस प्रसंस्करण संयंत्र जो चौथी पंचवर्षीय योजना में स्थापित किया गया था, मांस परिसर के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है और सूअर मांस उत्पादों के अतिरिक्त मटन और चिकन उत्पाद तैयार कर रहा है। मांस प्रसंस्करण एकक जो संख्या में 128 हैं और मांस खाद्य उत्पाद आदेश के तहत लाइसेंसीकृत हैं, मुख्यतः सूअर मांस उत्पाद तैयार कर रहे हैं। मूल्य-वर्धित सूअर-मांस उत्पाद सासेज़, हैम, बेकन, लन्चन, मीट आदि हैं जो मुख्यतः महानगरों और बड़े नगरों में बेचे जाते हैं।

पाल्द्री एवं अंडा प्रसंस्करण

देश में कई छोटे ड्रेसिंग संयंत्र हैं। खुदरा बिक्री के लिए ये संयंत्र ड्रेस्ड चिकन तैयार कर रहे हैं। इन संयंत्रों के अतिरिक्त छह आधुनिक एकीकृत पाल्द्री प्रसंस्करण संयंत्र ड्रेस्ड चिकन, चिकन कट पार्ट्स और दूसरे चिकन उत्पाद तैयार कर रहे हैं। इस मंत्रालय की सहायता से आन्ध्र प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश, मिजोरम, उत्तर प्रदेश व केरल में एक-एक आधुनिक एकीकृत पॉटरी प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित

CHAPTER VII

MEAT AND POULTRY PROCESSING

Meat Production

Animals which are generally used for production and processing of meat are sheep and goat, cattle, buffaloes, pigs and poultry. In some parts of the country, particularly, in the North-East, other species of animals like methun are also used as meat animals. In recent years, rabbit is also emerging as one of the meat animals in some states like Kerala. The meat and meat products produced from species in three years is given in the following table.

	(thousand tonnes)		
	1992	1993	1994
Mutton & goat meat	621	623	636
Pork	361	366	366
Chicken (Poultry Meat)	362	382	442
Cattle (Beef) meat	1216	1215	1290
Buffalo (Meat)	1182	1182	1200

The total meat production in the country is about 3.9 million MTs. The slaughter rate in relation to the population is around 6% in case of cattle, 10% in case of buffaloes, 99% in case of pigs, 31% in case of sheep and 39% in case of goat.

Meat Processing

Besides 3600 Slaughter Houses, there are 6 modern Abattoirs in the country. Another Integrated Buffalo Meat Processing Plant in the joint venture, is being established. In addition, there are about 25 meat processing units including fifteen 100% Export Oriented Units which are mainly engaged in export of meat products. Apart from this, there are 128 meat products processing plants which are manufacturing value added meat products for domestic consumption only. There are few animal casings units engaged in collecting, cleaning, grading and exporting sheep, goat and cattle guts.

Pork Processing

In addition to the 7 Bacon factories, set up in 4th five year plan, 5 Pork Processing Plants are being set up in Guwahati and Nazira (Assam), Dimapur and Tigit (Nagaland) and Raipur (M.P.). A pork processing plant which was set up in 4th five year plan has been converted into meat complex and is producing mutton and chicken products in addition to the pork products. The meat processing units which are 128 in numbers and licensed under Meat Food Products order are producing pork products as their main item of production. The value added pork products which are sold mostly in metropolitan and big cities are sausages, ham, bacon, luncheon meat etc.

Poultry and Egg Processing

There are number of small poultry dressing plants in the country. These plants are producing dressed chicken for retail sale. In addition to these plants, there are six modern integrated poultry processing plants producing dressed chicken, chicken cut parts and other chicken products. A

किए जा रहे हैं। अंडा प्रसंस्करण विकास का एक नया क्षेत्र है और देश में कुछ निर्यातमुखी अंडा प्रसंस्करण एकक स्थापित किए जा रहे हैं। चार अंडा प्रसंस्करण एककों ने आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा और केरल में काम करना शुरू कर दिया है और विदेशों को अंडा उत्पादों का निर्यात कर रहे हैं। इन एककों द्वारा तैयार किए जाने वाले उत्पादों में एग पाउडर, शर्करारहित अल्ब्यूमिन पाउडर, प्रशीतित अंडा जरदी आदि शामिल हैं। इन एककों ने 15 करोड़ रु० मूल्य के अंडा उत्पादों का निर्यात किया है।

निर्यात:

भारत मांस और मांस उत्पाद निर्यात कर रहा है। कुल निर्यात में से 70% निर्यात भैंस मांस का किया जाता है क्योंकि इसकी देश में बहुतायत है। इसके मांस की मध्यपूर्व और दूरवर्ती पूर्वी देशों में काफी मांग है। भेड़ और बकरी मांस की स्थानीय मांग को देखते हुए ऐसे मांस का सीमित निर्यात किया जाता है। पाल्ट्री उत्पादों का निर्यात यद्यपि बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन उसमें बढ़ोत्तरी हो रही है। कुल मिलाकर मांस और मांस उत्पादों का निर्यात निरंतर बढ़ रहा है। पिछले पांच वर्षों में मांस और मांस उत्पादों का निर्यात दिखाया गया है:—

(मात्रा: हजार टन/मूल्य: मिलियन रु० में)

	1991-92		1992-93		1993-94		1994-95		1995-96	
मद	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
भैंस-मांस	815.00	1850.00	825.00	2076.00	1120.0	2815.0	1161	3244	1156	—
भेड़ और बकरी मांस	76.20	342.9	73.82	402.1	128.1	619.3	108.0	660	131.5	—
अन्य मांस	—	67.0	—	19.0	—	19.0	—	14.0	—	—
कुल	891.20	2259.9	898.82	2498.1	1248.1	3454.3	1269.0	3918.0	1287.5	—

योजना स्कीम के तहत सहायता:

मंत्रालय स्वास्थ्यकारक मांस और मांस उत्पादों के प्रसंस्करण के लिए सहायता प्रदान कर रहा है। पाल्ट्री, सूअर-मांस, भेड़ और बकरी मांस प्रसंस्करण संयंत्रों की स्थापना के लिए असम, उत्तर प्रदेश, पंजाब, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और आन्ध्र प्रदेश स्थित राज्य सरकार के उपक्रमों को सहायता दी गई। मंत्रालय ने मांस उद्योग मजदूरों तथा व्यवसायियों के प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को भी प्रायोजित किया है। 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अब तक लगभग 1000 उम्मीदवार प्रशिक्षित किए गए हैं। खुदरा दुकानों में मीट व पाल्ट्री उत्पादों के भंडारण हेतु भी सहायता दी जाती है, ताकि उन्हें अधिक समय तक रखा जा सके और उनकी गुणवत्ता बनी रहे। अब तक महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मणिपुर और प० बंगाल को सहायता दी जा चुकी है।

Modern Meat Processing Plant has been established in Bhopal, MP and Modern Integrated Poultry Processing Plant are under establishment-one each in Andhra Pradesh, Assam, Mizoram, Uttar Pradesh and Kerala with the assistance of this Ministry. The egg processing is a new area of development and a few export oriented egg processing units are being set up in the country. Four Egg Processing Units have started functioning in Andhra Pradesh, Karnataka, Haryana and Kerala and are exporting egg products to foreign countries. The products manufactured by these units are egg powder, desugared albumin powder, frozen egg yolk etc. These units have exported egg products worth Rs. 15 crores.

EXPORTS

India is exporting meat and meat products. Out of the total exports, 70% export is from buffalo meat as this is the surplus meat in the country which has high demand in Middle East and Far East Countries. Considering the local demand of sheep and goat meat, export of such meat is limited. The export of poultry products though not very significant, but is showing an emerging trend. In total the export of meat and meat products is increasing steadily. The export of meat and meat products in the last five year is indicated below:—

ITEM	Qty: Thousand Tonnes Value: Million Rupees									
	1991-92		1992-93		1993-94		1994-95		1995-96	
	Qty.	Value	Qty.	Value	Qty.	Value	Qty.	Value	Qty.	Value
Buffalo Meat	815.00	1850.00	825.00	2076.00	1120.0	2815.0	1161.0	3244	1156	—
Sheep & Goat Meat	76.20	342.9	73.82	402.1	128.1	619.3	108.0	660	131.5	—
Other Meat	—	67.0	—	19.0	—	19.0	—	14.0	—	—
Total:	891.20	2259.9	898.82	2498.1	1248.1	3454.3	1269.0	3918.0	1287.5	—

Assistance under Plan Schemes

The Ministry is providing assistance to the hygienic production of meat and meat products. The assistance was given to the State Undertakings of Assam, Uttar Pradesh, Punjab, Kerala, Karnataka, Maharashtra and Andhra Pradesh for establishment of poultry, pork, sheep and goat and buffalo meat processing plants. The Ministry has also sponsored training courses for the workers and professionals of the meat industry. About 1000 candidates have been trained in 8th Five Year Plan so far. The assistance is also given for storing the meat and poultry products for increasing the shelf life and maintaining quality in retail outlets. So far Maharashtra, U.P., Manipur, West Bengal have received such assistance.

अध्याय — 8

गहन समुद्री मत्स्यन और मछली प्रसंस्करण

नई गहन समुद्री मत्स्यन नीति की घोषणा मार्च, 1991 में हुई जो कि वर्ष 1992-93 के दौरान पूरी तरह से लागू कर दी गई। संयुक्त उद्यम, टैस्ट फिशिंग और लीजिंग के तहत अनेक जलयानों को अनुमतियां दी गईं और कुछ जलयानों ने वर्ष 1993 के बाद काम करना शुरू कर दिया। फिर भी पारम्परिक मछुआरों के समूहों द्वारा किए जाने वाले आंदोलनों के परिणामस्वरूप गहन समुद्री मत्स्यन नीति की पुनरीक्षा हेतु एक कमेटी का गठन किया गया।

गहन समुद्री मत्स्यन नीति पर पुनरीक्षा समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ सिफारिश की है कि संयुक्त उद्यम/लीजिंग टैस्ट फिशिंग और चार्टर के तहत गहन समुद्री मत्स्यन जलयानों के प्रचालन हेतु जारी किए गए सभी लाइसेंसों/परमिटों को जहां आवश्यक हो कानूनी प्रक्रिया के मद्देनजर रद्द कर दिया जाए। समिति ने यह भी सुझाव दिया है कि इन स्पीकों के तहत कोई भी नवीकरण/लाइसेंसों/परमिट की समय सीमा का विस्तार न किया जाए/न ही कोई नया लाइसेंस/परमिट जारी किया जाए।

सरकार ने पुनरीक्षण समिति की सिफारिशों को सैद्धांतिक रूप में स्वीकार करने का निर्णय लिया है। यह भी निर्णय लिया गया है कि 1991 की नई गहन समुद्री मत्स्यन नीति को रद्द कर दिया जाए जबकि चार्टर नीतियों को पहले ही धीरे-धीरे समाप्त किया जा रहा है।

सरकार ने तटवर्ती राज्य/संघशासित राज्य सरकारों के परामर्शनुसार नई गहन समुद्री मत्स्यन नीति और भारतीय अनन्य आर्थिक क्षेत्र में भारतीय मत्स्यन जलयानों के प्रचालनों को नियंत्रित करने के लिए एक विधान बनाने हेतु कार्यवाही शुरू कर दी है।

गहन समुद्री मत्स्यन विकास संबंधी स्कीमें

गहन समुद्री मत्स्यन क्षेत्र के एकीकृत विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मंत्रालय ने बुनियादी सुविधाओं के विकास से संबंधित निम्नलिखित स्कीमें लागू कीं:

- (1) संचार सुविधाओं की स्थापना के लिए तटरक्षक बल को धनराशि देकर भारत का सामुद्रिक क्षेत्र अधिनियम, 1981 को कारगर ढंग से लागू करने संबंधी स्कीम

भारत का सामुद्रिक क्षेत्र अधिनियम, 1981 के तहत विदेशी जलयानों द्वारा मछली के शिकार पर नजर रखने के लिए तटरक्षक बल को प्राधिकृत किया गया है। इसलिए इस बात की जरूरत महसूस की गई कि उन्हें मत्स्यन जलयानों के साथ जलयान से तट तक और तट से जलयान तक सीधे रेडियों संचार संपर्क स्थापित करने के वास्ते धनराशि देकर उनकी संचार सुविधाओं को मजबूत किया जाए। इससे तटरक्षक बल को समुद्र में मछली का शिकार करने वाले भारतीय स्वामित्व वाले जलयानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और जरूरी सहायता उपलब्ध कराने में भी सहायता मिलेगी। वर्ष 1995-96 के दौरान इस स्कीम के लिए 40 लाख रुपये की राशि निर्धारित की गई है।

- (2) गहन समुद्री मत्स्यन जलयान प्राप्त करने के लिए ऋण पर ब्याज सब्सिडी उपलब्ध कराने संबंधी स्कीम:

एस०सी०आई०सी०आई० लि० द्वारा ब्याज की रियायती दर पर जलयानों की खरीद के लिए गहन समुद्री मत्स्यन कंपनियों को ऋण उपलब्ध कराने के बारे में यह महसूस किया गया कि एस०सी०आई०सी०आई० लि० को ब्याज के अंतर की राशि सब्सिडी के रूप में दी जाए। वर्ष 1996-97 के दौरान इस स्कीम के लिए 5 लाख रुपये की राशि निर्धारित की गई है।

- (3) गहन समुद्री मत्स्यन और प्रसंस्करण उद्यमों में (समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के मार्फत) इक्विटी सहभागिता संबंधी स्कीम:

गहन समुद्री मत्स्यन एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें पूंजी बहुत अधिक लगती है। "मपेडा" के पास इस क्षेत्र में कंपनियों की इक्विटी में भागीदारी करने की एक स्कीम पहले से ही है ताकि उद्यमियों के वित्तीय बोझ को कम किया जा सके और उनके द्वारा किए जा रहे कुशल प्रबंध में "मपेडा" की सकारात्मक भागीदारी उपलब्ध कराई जा सके। इस स्कीम के तहत धनराशि "मपेडा" को दी जाएगी और वह इससे गहन समुद्री मत्स्यन और प्रसंस्करण उद्यमों की इक्विटी में भाग लेगा। वर्ष 1996-97 के दौरान इस स्कीम के लिए 5 लाख रुपये की राशि निर्धारित की गई है।

CHAPTER VIII

Deep Sea Fishing and Fish Processing

The New Deep Sea Fishing Policy announced in March, 1991 became fully effective during the year 1992-93. A number of vessels under Joint Venture, Test Fishing and Leasing were permitted and some vessels started operating from 1993 onwards. However, the wake of agitation by traditional fishermen groups, a committee was constituted to review the deep sea fishing policy.

The Review Committee on Deep Sea Fishing Policy has recommended, among other things, that all licences/permits issued for operation of deep sea fishing vessels under Joint Venture, Leasing, Test Fishing and Charter may be cancelled, subject to due legal process as may be required. The committee has also recommended that no renewal/extension of the licence/permit should be given and no fresh licence/permit should be issued under these schemes.

The Govt. has decided to accept the recommendations of the Review Committee in principle. It has also been decided to rescind the New Deep Sea Fishing Policy of 1991 whereas the charter policies are already being phased out.

The Ministry has initiated action for formulation of a New Deep Sea Fishing Policy and a legislation to regulate operations of Indian Fishing vessels in the Indian EEZ in consultation with Maritime States/UTs Govts.

SCHEMES FOR DEVELOPMENT OF DEEP SEA FISHING

With a view to achieving an integrated development of the Deep Sea Fishing Sector, the Ministry implemented the following Schemes relating to infrastructure development:—

(i) SCHEME FOR EFFECTIVE IMPLEMENTATION OF THE MZI ACT, 1981 BY PROVIDING FUNDS TO COAST GUARD FOR INSTALLATION OF COMMUNICATION FACILITIES:

Since Coast Guard are authorised to monitor fishing by foreign vessels under the MZI Act, 1981, a need was felt to strengthen their communication facilities by providing funds for them to set up ship to shore and vice-versa direct voice (radio) communication link with fishing vessels. Apart from this, the link will also help the Coast Guard in ensuring safety of the Indian owned vessels fishing at sea and in rendering any assistance required. During 1996-97, an amount of Rs. 40 lakhs has been earmarked for this Scheme.

(ii) SCHEME FOR PROVIDING INTEREST SUBSIDY ON LOANS FOR ACQUISITION OF DEEP SEA FISHING VESSELS:

In order to provide loans to deep sea fishing companies for acquisition of vessels at concessional rate of interest by SCICI Limited, it was felt that an interest differential subsidy be provided to SCICI Ltd. During the year 1996-97, an amount of Rs. 50 lakhs has been earmarked for this Scheme.

(iii) SCHEME FOR EQUITY PARTICIPATION IN DEEP SEA FISHING AND PROCESSING VENTURES (THROUGH M.P.E.D.A.):

Deep Sea Fishing is a highly capital intensive field. The Marine Products Export Development Authority (MPEDA) have already got a scheme to participate in the equity of Companies in this field in order to reduce the financial burden on the entrepreneurs and also to provide positive participation of M.P.E.D.A. in their efficient management. The funds under this Scheme will be released to M.P.E.D.A., who will, in turn, participate in the equity of deep sea fishing and processing ventures. During 1996-97 an amount of Rs. 5 lakhs has been earmarked for this Scheme.

(4) विविधीकृत मत्स्यन के लिए सहायता

यह महसूस किया गया है कि श्रिंप संसाधनों का अधिकतम दोहन किया जा चुका है इसलिए जरूरत इस बात की है कि कुछ मौजूदा श्रिंप ट्रालरों में सुधार किया जाए ताकि उनसे विविधीकृत मत्स्यन किया जा सके। इस स्कीम के तहत धनराशि "मपेडा" को दी जाएगी और वह इसे जलयानों / ट्रालरों में किए जाने वाले सुधार की लागत पर सब्सिडी के रूप में सहायता के तौर पर देगा। वर्ष 1995-96 के दौरान इस स्कीम के लिए 50 लाख रुपये की राशि निर्धारित की गई है।

(5) राष्ट्रीय समुद्री मात्स्यिकी विकास बोर्ड:

देश में गहन समुद्री मत्स्यन क्षेत्र के समग्र विकास को समन्वित ढंग से बढ़ावा देने की जरूरत पर विचार करते हुए एक राष्ट्रीय समुद्री मात्स्यिकी विकास बोर्ड का गठन करना जरूरी समझा गया। इस बोर्ड को पंजीकृत सोसाइटी के रूप में स्थापित करने का प्रस्ताव है। वर्ष 1996-97 के दौरान इसके लिए 5 लाख रुपये की राशि निर्धारित की गई है।

(6) मछली के परिरक्षण और प्रसंस्करण के लिए बुनियादी सुविधाएं स्थापित करने संबंधी स्कीम:

यह स्कीम तत्कालीन कोल्ड चेन स्कीम और टूना तथा अन्य मछली प्रसंस्करण स्कीम को मिलाकर 1994-95 से लागू करने के लिए तैयार की गई है। इस स्कीम का मूल उद्देश्य ऐसी बुनियादी सुविधाओं की स्थापना को बढ़ावा देने की लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का है जिसकी जरूरत मछली के परिरक्षण और प्रसंस्करण के लिए पड़ती है। इनमें बर्फ के कारखाने, कोल्ड स्टोरेज, आई क्यू एफ संयंत्र, ब्लास्ट फ्रिजर, ब्लॉक फ्रिजर आदि जैसी प्रसंस्करण सुविधाएं और रेफ्रिजरेटिड दुलाई सुविधाएं शामिल हैं। वर्ष 1996-97 के दौरान इस स्कीम के तहत वितरण के लिए 350 लाख रुपये की राशि निर्धारित की गई है। स्कीम के तहत प्रस्तावों पर विचार किया जाता है।

(7) मछली प्रसंस्करण क्षेत्र में अनुसंधान तथा विकास को बढ़ावा देने तथा गुणवत्ता को बेहतर बनाने संबंधी स्कीम

इस स्कीम को वर्ष 1995-96 से लागू करने के लिए बनाया गया था। स्कीम का उद्देश्य मछली प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना तथा गुणवत्ता को बेहतर बनाना है।

स्कीम के तहत मछली पालन और मछली प्रसंस्करण क्षेत्र में मुख्यतः व्यवहारिक अनुसंधान कार्य करने वाली वैज्ञानिक और अनुसंधान संस्थाओं को सहायता दी जाएगी। वित्तीय वर्ष 1996-97 के दौरान स्कीम के तहत 7.50 लाख रु० की राशि वितरित की गई है।

भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण बम्बई

भारत सरकार (खा०प्र०उ०मं०) के तहत नोडल एजेंसी भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण भारतीय अनन्य आर्थिक क्षेत्रों में समुद्री मछली संसाधनों का सर्वेक्षण और मूल्यांकन का काम करता है। इसका मुख्यालय मुम्बई में है और पश्चिमी तट पर पोरबंदर, मर्मुगांव और कोचीन, पूर्वी तट पर मद्रास और विशाखापट्टनम तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पोर्टब्लेयर में इसके सात परिचालन बेस हैं। मछली संसाधनों के सर्वेक्षण और आंकलन के लिए समुद्र की यात्रा करने वाले 12 सर्वेक्षण जलयानों की तैनाती की जा रही है। स्टॉक मूल्यांकन अध्ययन के लिए आंकड़े इकट्ठा करने के अलावा ये जलयान रिमोट सेसिंग प्रोग्राम हेतु सी० टुथ डाटा इकट्ठा करने और परिरक्षण परियोजनाओं में लगे हुए हैं। वैज्ञानिकों द्वारा शुरू कुछ अनुसंधान परियोजनाएं विशेष पूरी की गई हैं और इसके लिए मुम्बई विश्वविद्यालय ने एम० एस० सी० और पी० एच० डी० की डिग्रियां प्रदान की हैं। संस्थान के वैज्ञानिकों ने समुद्र में लगाई गयी सभी गश्तों में भाग लिया और समुद्री संसाधन आंकड़े इकट्ठे करने के अलावा जैविक और पर्यावरण सम्बन्धी आंकड़े इकट्ठे किए।

2. किए गए संसाधन सर्वेक्षण

वर्ष 1996-97 के लिए निम्नलिखित चार प्रमुख परियोजनाओं के तहत संसाधन सर्वेक्षण कार्यक्रम की योजना बनाई गई:

(क) डीमर्सल संसाधन सर्वेक्षण परियोजना: इसमें डीमर्सल संसाधन सर्वेक्षण और तट के साथ 500 मी० की गहराई तक संसाधनों की निगरानी, दक्षिणी-पश्चिमी तट पर सैफालॉण्ड संसाधन सर्वेक्षण और ऊपरी पूर्वी तट पर श्रिंप संसाधन सर्वेक्षण शामिल हैं।

(iv) ASSISTANCE FOR DIVERSIFIED FISHING:

It is felt that exploitation of shrimp resources has reached a saturation point and there is a need for some of the existing shrimp trawlers to be modified to do diversified fishing. Funds under this Scheme would be released to M.P.E.D.A, who will, in turn, provide assistance as subsidy on the cost of modification of the vessels/trawlers. During 1996-97 an amount of Rs. 5 lakhs has been earmarked for this Scheme.

(v) NATIONAL MARINE FISHERIES DEVELOPMENT BOARD:

Considering the need to promote the overall development of the deep sea fishing sector in the country in a coordinated manner, it was felt necessary to form a National Marine Fisheries Development Board. This Board is proposed to be set up as a registered society. An amount of Rs. 5 lakhs has been earmarked for this purpose during 1996-97.

(vi) SCHEME FOR SETTING UP OF INFRASTRUCTURAL FACILITIES FOR PRESERVATION AND PROCESSING OF FISH:

This Scheme was formulated for implementation from the year 1994-95 onwards by merging the erstwhile Schemes of Cold Chain and Scheme for Tuna and Other Fish Processing. The basic objective of the Scheme is to provide financial assistance to encourage setting up of basic infrastructure facilities which are required for preservation and processing of fish which may include ice plants, cold storages, processing facilities like IQF plants, blast freezers, block freezers etc., and refrigerated transportation facilities. An amount of Rs. 350 lakhs has been earmarked for disbursement under this Scheme during 1996-97. Proposals received under this Scheme are under consideration.

(vii) SCHEME FOR PROMOTING RESEARCH & DEVELOPMENT AND QUALITY IMPROVEMENT IN FISH PROCESSING SECTOR:

The Scheme was formulated for implementation from the year 1995-96 onwards. The objective of the Scheme is to promote research and development and quality improvement in fish processing technology.

Assistance under the Scheme will be available to Scientific and Research Institutions primarily engaged in conducting applied research in fisheries and fish processing sector. During the financial year 1996-97, an amount of Rs. 50 lakhs has been earmarked for this scheme.

FISHERY SURVEY OF INDIA**MUMBAI**

The Fishery Survey of India (FSI), the Nodal agency under the Government of India, (MFPI) responsible for survey and assessment of marine fishery resources of the Indian EEZ. With its headquarters at Mumbai, the Institute has seven operational bases at Porbandar, Mumbai, Mormugao and Cochin along the west coast; Madras and Visakhapatnam along the east coast and Port Blair in the Andaman & Nicobar Islands. A total of 12 ocean-going survey vessels are being deployed for fisheries resources survey and monitoring. Apart from collection of data for stock assessment studies, the vessels were also engaged in experimental projects and collection of sea truth data for remote sensing programme. Some of the individual research projects taken up by scientists have been completed for which M. Sc. and Ph. D degrees were awarded by the Mumbai University. The scientists of the institute participate in all the survey cruises and collect data on biological and environmental parameters, in addition to fishery resources data.

2. Resources Survey undertaken

The resources survey programme for the year 1996-97 envisages is four broad areas viz.

a) Demersal resources survey projects: These include demersal resources survey and monitoring of the resources along the west and east coasts upto 500m depth and also preliminary survey in Andaman & Nicobar waters, cephalopod resources survey along the south-west coast and shrimp resources survey along upper east coast.

- (ख) प्लेजिक संसाधन सर्वेक्षण परियोजनाएं: इन परियोजनाओं में दक्षिणी-पश्चिमी तट पर पर्स सीनिंग द्वारा और उड़ीसा-पश्चिम बंगाल तट पर मिडवाटर ट्राइलिंग द्वारा तटवर्ती प्लेजिक संसाधनों का सर्वेक्षण शामिल है।
- (ग) ओशिऐनिक टूना/शार्क संसाधन सर्वेक्षण परियोजनाएं: इन परियोजनाओं को उत्तर-पश्चिम तट, उत्तर-पूर्वी तट और अंडमान निकोबार जल में टूना लांग लाइन सर्वेक्षण तथा निचले पूर्वी तट पर शार्क लांग लाइन सर्वेक्षण के लिए बनाया गया था।
- (घ) परीक्षण परियोजनाएं: मछली पकड़ने के विशिष्ट तरीकों जैसे पश्चिमी तट और लक्षद्वीप के समुद्र में रॉक कोड के लिए ट्रैप फ्रिशिंग, निचले पूर्वी तट पर पर्व संसाधनों के लिए बोटम सेट लांग लाइनिंग और दक्षिणी पश्चिमी तट पर नारिटिक स्क्विड के लिए स्क्विड जिगिंग के लिए भी कुछ परियोजनाएं बनाई गई।

वास्तविक लक्ष्य पूरे करना:

अप्रैल-नवम्बर, 96 के दौरान सर्वेक्षण जलयान 827 दिन समुद्र में रहे और 2432 घंटों के कुल प्रयास से 590 दिन मछली का शिकार किया तथा 1,04,910 हुए चलाए।

3. सूचना का प्रसार

संस्थान अपने विभिन्न प्रकाशनों जैसे बुलेटिन, रिपोर्ट, चार्ट, विशेष प्रकाशनों, वैज्ञानिक पेपरों आदि के द्वारा उद्योग और अंतिम उपभोक्ताओं तक संसाधनों सर्वेक्षण के निष्कर्षों को कारगर ढंग से प्रसारित करने में सफल रहा। भारतीय मात्स्यिकी संस्थान के प्रकाशनों को मछुआरों और मशीनीकृत बोट चलाने वालों के लाभ के लिए प्राथमिकता आधार पर क्षेत्रीय भाषाओं में भी अनुदित किया जा रहा है। वर्ष के दौरान निम्नलिखित प्रकाशन निकाले गए।

वार्षिक रिपोर्ट 1995-96

मीना न्यूज खण्ड—12 सं० 2 और सं० 3

संसाधन सूचना श्रृंखला (आर० आई० एस०):—

मुर्मुगांव बेस	: आर० आई० एस० खण्ड-1, नं०-1, नं०-2 और नं०-3
विशाखापट्टनम बेस	: आर० आई० एस० खण्ड-1, सं०-2, और सं०-3
पोरबन्दर बेस	: आर० आई० एस० खण्ड-1, सं०-4, सं०-5
मद्रास बेस	: आर० आई० एस० खण्ड-1, सं०-1
पोर्ट ब्लेयर बेस	: आर० आई० एस० खण्ड-1, सं०-4

बुलेटिन:

भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण का “भारतीय अनन्य आर्थिक क्षेत्र में समुद्री मछली संसाधन की अद्यतन संभावना ” संबंधी बुलेटिन संख्या 20 और “गुजरात अपतट में समुद्री मात्स्यिकी संसाधन” संबंधी बुलेटिन सं० 25 गुजराती में प्रकाशित किया गया।

कार्यशालाओं/संगोष्ठी में पेश किए गये पेपर:

- (1) भारत में गहन समुद्री मात्स्यिकी के विकास की रणनीति और रूप रेखा का वैज्ञानिक आधार।
- (2) हिन्द महासागर में टूना मछली की मौजूदा स्थिति।
- (3) भारतीय अनन्य आर्थिक क्षेत्र में गहरे समुद्र और महासागर में मछली संसाधन।
- (4) भारतीय जल में अत्यधिक भ्रमणशील मछलियों के दोहन के लिए युक्तिसंगत रणनीति अपनाना।
- (5) समुद्री मछलियों से संबंधित पर्यावरण संबंधी मामले और भावी अध्ययन।
- (6) गहरे समुद्र में मछली पकड़ने का तटवर्ती मात्स्यिकी प्रभाव।
- (7) भारतीय अनन्य आर्थिक क्षेत्र में समुद्री मात्स्यिकी का विकास और प्रबंधन।

b) Pelagic resources survey projects: These projects envisaged survey of coastal pelagic resources by purse-seining off south west coast, and by midwater trawling along Orissa-West Bengal Coast.

c) Oceanic Tuna/Shark resources survey projects: These projects were planned for Tuna longline survey along north west coast, north east coast, and Andaman & Nicobar waters and shark long line survey along lower east coast.

d) Experimental projects: A set of projects were also programmed for selective fishing methods like trap fishing for rock cods along West coast and Lakshadweep sea, and bottom set long lining for perch resources along lower east coast and squid jugging for neritic squids along south-west Coast.

Accomplishment of physical targets: During the period April November, 1996, the survey vessels were out at sea for 827 days and conducted 590 days fishing, expending a total fishing effort of 2432 hours and 104910 hooks.

3. Dissemination of Information

The Institute had been effectively disseminating the resources survey findings to the industry and other end-users through various publications, like Bulletins, Reports, Charts, Special Publications, Scientific Papers, etc. The FSI publications are also being translated into regional languages for the benefit of the local fishermen and mechanised boat operators. During the year following publications were released.

Annual Report 1995-96.

Meena News Vol. XII No. 2 and No. 3.

Resources Information Series (RIS):—

Mormugao Base	: RIS Vol. I No. 1 No. 2 and No. 3
Visakhapatnam Base	: RIS Vol. I No. 2 and No. 3
Porbandar Base	: RIS Vol. I No. 4 and No. 5
Mumbai Base	: RIS Vol. I No. 2
Madras Base	: RIS Vol. I No. 1
Port Blair Base	: RIS Vol. I No. 4.

BULLETINS:

Bulletin No. 20 of FSI on "Marine Fishery resources Potential in the Indian EEZ an update" and Bulletin No. 25 on "Marine Fisheries Resources off Gujarat Coast" were published in Gujarati.

PAPERS PRESENTED IN WORKSHOP/SYMPOSIUM

1. Scientific basis for strategies and framework for deepsea fisheries development in India.
2. Present status of tuna fisheries in Indian Ocean.
3. Deepsea and oceanic fishery resources in the Indian EEZ.
4. Approach to a rational strategy for exploitation of highly migratory stocks in Indian waters.
5. Environmental issues in context of marine fisheries and future studies.
6. Impact of deepsea fishing in coastal fisheries.
7. Marine fisheries development and management in the Indian Exclusive Zone.

4. मछुआरों के लाभ के लिए कार्यशाला:

मात्स्यिकी संसाधन सर्वेक्षण के निष्कर्षों के प्रस्ताव और उपयोगकर्ता समुदाय के साथ बेहतर संबंध स्थापित करने के लिए भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण ने मछुआरों, मशीनीकृत बोट ऑपरेटरों और मछली उद्योग के लाभ के लिए विभिन्न तटवर्ती राज्यों में कार्यशालाएं आयोजित की हैं। वर्ष के दौरान 23-10-96 को बेरावल में 'गुजरात अपतट पर गहन समुद्री मत्स्यन की संभावना और मात्स्यिकी संसाधनों की संभावना' पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया और उसके बाद 26/10/96 को पोरबन्दर में एक प्रदर्शनी तथा ओपन हाउस का आयोजन किया गया। फरवरी, 97 के दौरान पोर्टब्लेयर में इसी प्रकार की एक कार्यशाला का आयोजन किया।

5. कर्मचारियों का प्रशिक्षण

5.1 कर्मों दलों को "सिफनेट" द्वारा प्रायोजित प्रशिक्षण

संस्थान ने "सिफनेट" कोचीन द्वारा भेजे गए कर्मचारियों को सभी सर्वेक्षण जलयानों पर पाठ्यक्रमोपरांत प्रशिक्षण देना जारी रखा ताकि वे मात्स्यिकी जलयानों में तैनाती संबंधी परीक्षा के लिए अपेक्षित समुद्र सेवा की जानकारी प्राप्त कर सकें।

5.2 सरकारी पोलिटेकनिक, पोर्टब्लेयर के छात्रों को प्रशिक्षण देना

सरकारी पालिटेकनिक, पोर्टब्लेयर के अनुरोध पर उनके द्वारा भेजे गए 7 छात्रों को फिशिंग बोट स्किपर और मात्स्यिकी इंजीनियरिंग प्रशिक्षुओं के रूप में भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण के जलयानों पर 6 महीने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण के लिए भेजे गये उम्मीदवारों को एफ० एस० आई० के विशाखापत्तनम और पोबंदर बेसों के जलयानों पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

6. वर्ष के दौरान पूरी की गई अनुसंधान परियोजनाएं

संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा निम्नलिखित अनुसंधान परियोजनाएं पूरी की गईं। इनके लिए मुम्बई, विश्वविद्यालय ने उन्हें वर्ष के दौरान एम० एस० सी० और पी० एच० डी० की डिग्रियां दी।

भारतीय समुद्र में पेलाफिन टूना थ्युनुसन (बोनाटेरी, 1788) का अध्ययन।	पी० एच० डी०
भारत के उत्तर-पश्चिमी तट पर गोट फिश के भंडार का मूल्यांकन।	एम० एस० सी०
भारत के उत्तर-पश्चिमी तट पर गहन समुद्री मछली पिरैकैन्थसहमर (फोरसाकल) के भंडार का मूल्यांकन और जैविक पहलू।	एम० एस० सी०
भारत के उत्तर-पश्चिमी तट पर भारतीय स्कैड डीकेपटिरस रसीलि का पाया जाना और उसका जीवविज्ञान	एम० एस० सी०
भंडार मूल्यांकन के विशेष संदर्भ में भारत के उत्तर पश्चिमी उपतट पर पाई जाना वाली समुद्री कैटफिश एरिअस थालासिनस (रुपेल, 1893) का जीवविज्ञान और खाद्य मूल्य	पी० एस० डी०*

*विश्वविद्यालय से परिणाम आने बाकी हैं।

7. नए जलयानों की खरीद

भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण ने सर्वेक्षण कार्यों को सुदृढ़ करने और मौजूदा 6 जलयानों के स्थान पर नए जलयान खरीदने की एक योजना तैयार की है। खरीदे जाने वाले प्रस्तावित जलयानों 4 स्ट्रन ट्रालरों में से 2 डिमर्सल ट्रालिंग और 2 मिडवाटर ट्रालिंग के लिए, 1 पर्स सिनर सह मिडवाटर ट्रालर तथा 1 पर्स सिनर सह मौनोफिलामेंट लांगलाइनर है।

4. Workshop for the benefit of fishermen.

As a part of the effort to disseminate the finding of fishery resources surveys and to enable better interaction with the user communities, FSI conducts Workshops in different maritime states for the benefit of fishermen, mechanised boat operators and the fishing industry. During the year a workshop on "Fishery Resources Potential and Scope for Deep Sea Fishing along Gujarat" was conducted at Veraval on 23.10.96 followed by an exhibition-cum-open house on 26.10.96 at Porbandar. A Workshop on similar lines will be held at Port Blair during Feb., 1997.

5. Training

5.1 Training of operatives Sponsored by CIFNET

The Institute continued to impart in-vessel on the job post-institutional training on board all the survey vessels to candidates sponsored by CIFNET, Cochin enabling them to acquire requisite sea service to appear for competency examination for manning fishing vessels.

5.2 Training Imparted to the students of Govt. Polytechnic, Port Blair

At the request of the Govt. Polytechnic, Port Blair seven students sponsored by them are undergoing six months training on board the FSI vessels as fishing boat skipper and fisheries engineering trainees. The candidates are posted for training on board the vessels attached to the Visakhapatnam and Porbandar bases of FSI.

6. Research projects completed during the year

The following research projects undertaken by scientists of the institute were complete for which M. Sc./Ph.D. degrees were awarded during the year by the Bombay University.

Title of project	Degree awarded
Studies on Yellowfin tuna <i>Thunnus albacares</i> (Bonnaterre, 1788) in the Indian seas.	Ph.D.
Stock assessment of goat fish along north west coast of India	M.Sc.
Biological aspects and stock assessment of the deepsea fish <i>priacanthus Hamrur</i> (Forsskal) off the north west coast of India.	M.Sc.
Bioclogy and occurance of Indian scad <i>Decapterus russelli</i> along the north west coast of India.	M. Sc.
Biology and food value of marine catfish <i>Arius thalassinus</i> (Ruppell, 1853) of the north west coast of India with special reference to stock assessment.	Ph.D.*

*Communication of Results awaited from the University.

7. Acquisition of new vessels

The FSI has drawn up a plan to acquire six new vessels for replacement of the existing vessels and strengthening the survey activities. The vessels proposed for acquisition are four stern trawlers, two wach for demersal trawling and midwater trawling, one purse-seiner cum midwater trawler and one purse-seiner cum monofilament long liner.

8. कर्मचारियों की संख्या

संस्थान में कर्मचारियों की स्वीकृत संख्या 710 है जिसमें 69 वैज्ञानिक पद और 425 तकनीकी पद और शेष प्रशासनिक पद शामिल हैं।

9. अनुसूचित जातियों/जनजातियों के लिए आरक्षण

आरक्षण के मानदण्डों का पालन करते हुए, अनुसूचित जातियों/जनजातियों के लिए आरक्षित पदों की संख्या तथा वर्ष के दौरान भरे पदों की संख्या नीचे दी गई है:—

व्यौरे	अ०/जा०	अ०/जनजाति	योग
पिछली बकाया रिक्तियों समेत आरक्षित पदों की संख्या	6	4	10
1996-97 के दौरान भरे गए पदों की संख्या	3	—	3
भरे जाने वाले पदों की संख्या	3	4	7

9.1 अनु० जाति/अनु० जनजाति के रिक्त पदों को भरने के लिए की जा रही कार्रवाई निम्नलिखित है:—

रोजगार कार्यालय को भेजे गए मांग पत्र	2
कर्मचारी चयन आयोग को भेजे गए मांग पत्र	2
संघ लोक सेवा आयोग से पत्राचार किया जा रहा है	3

10. वित्तीय रगति

वर्ष 1996-97 के लिए योजना के तहत 9.94 करोड़ रुपये का और गैर योजना के लिए 2.00 करोड़ रुपये का बजट अनुमान है।

8. Staff Strength

The total sanctioned staff strength of the institute is 710 which includes 69 Scientific posts and 425 Technical posts, and the remaining are administrative posts.

Reservation of posts for SC/ST Candidates

Following the norms of reservations, the number of posts reserved by the institute for Schedule Castes/Scheduled Tribe categories and the number of posts filled during the year are given below:

Particulars	SC	ST	Total
No. of Posts reserved including backlog vacancies	6	4	10
No. of posts filled up during 1996-97	3	—	3
No. of posts to be filled up	3	4	7

9.1 Action in progress to fill up the vacant posts of SC/ST as below:

Requisition sent to Employment Exchange	:	2
Requisition sent to Staff Selection Commission	:	2
Under correspondence with the UPSC	:	3

10. Financial Progress

The B.E. for 1996-97 is Rs. 9.94 crores under plan and Rs.2.00 crores under Non-Plan.

अध्याय - 9

सरकारी क्षेत्र के उपक्रम

माडर्न फूड इंडस्ट्रीज (इं०) लिमिटेड

माडर्न फूड इंडस्ट्रीज (इं०) लिमिटेड की स्थापना माडर्न बेकरीज (इं०) लि० के नाम से वर्ष 1965 में हुई थी। कंपनी की विविध गतिविधियों को प्रतिबिंबित करने के लिए इसका मौजूदा नाम नवंबर, 1982 में अपनाया गया था।

पूंजीगत संरचना

31.12.96 की स्थिति के अनुसार कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी 15.00 करोड़ रु० और प्रदत्त पूंजी 11.08 करोड़ रु० है। 31.12.95 को 5.43 करोड़ रु० की तुलना में कंपनी द्वारा भारत सरकार को अदा की जाने वाली ऋणों की बकाया धनराशि 31.12.96 को 4.83 करोड़ रु० थी।

वास्तविक कार्य निष्पादन

ब्रेड

कंपनी ने सफेद सैंडविच ब्रेड, मीठी डबलरोटी, मिल्क ब्रेड, फ्रूटी, ब्राउन डबलरोटी और स्पेशल ब्रेड का उत्पादन और विपणन अपनी 14 ब्रेड निर्माता यूनिटों के माध्यम से जारी रखा। ये ब्रेड निर्माता यूनिटें अहमदाबाद, बंगलौर, बम्बई, कलकत्ता, चंडीगढ़, कोचीन, दिल्ली (दो यूनिटें), हैदराबाद, इंदौर, जयपुर, कानपुर, चेन्नई और रांची में स्थित हैं। अप्रैल, 96 से दिसम्बर, 96 के दौरान डबलरोटी की कुल बिक्री 19.27 करोड़ मानक डबलरोटी थी, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान यह मात्रा 17.47 करोड़ मानक डबलरोटी थी। अप्रैल, 96 से दिसम्बर, 96 के दौरान वाणिज्यिक बिक्री 17.35 करोड़ मानक डबलरोटी थी जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 15.57 करोड़ मानक डबलरोटी थी। इसी अवधि में पोषाहार के अंतर्गत बिक्री 1.92 करोड़ मानक डबलरोटी थी जो पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 1.90 करोड़ मानक डबलरोटी थी।

बेकरी वस्तुओं के उत्पादन और विपणन को और बढ़ाने तथा उचित मूल्यों पर पौष्टिक और स्वच्छ परिस्थितियों में तैयार की गई ब्रेड देश में और अधिक उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराने के लिए कंपनी ने 17 निजी निर्माताओं से विशेषाधिकार अनुबंध किए हैं। इससे रायल्टी के रूप में कंपनी को भी आमदनी होती है। अप्रैल, 96 से दिसम्बर, 96 के दौरान विशेष करार वाली यूनिटों ने 552 लाख मानक डबलरोटियां बेचीं और कंपनी ने रायल्टी के रूप में 38 लाख रु० कमाए जबकि अप्रैल से दिसम्बर, 1995 के दौरान 465 लाख मानक डबलरोटियों की बिक्री इनके द्वारा की गई थी और उससे रायल्टी के रूप में 29.52 लाख रु० की राशि कंपनी ने कमाई थी।

फल रस बॉटलिंग संयंत्र, दिल्ली

अप्रैल, 96 से दिसम्बर, 96 के दौरान यूनिट ने अपने कल्याण कार्यक्रमों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को 15534 मी० टन ऊर्जा खाद्य की सप्लाई की जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 11815 मी० टन ऊर्जा खाद्य की सप्लाई की गई थी। इसके अलावा, यूनिट ने इस वित्तीय वर्ष से न्यूट्रो बिस्कुटों का उत्पादन भी शुरू किया है और उत्तर प्रदेश सरकार को 2648 मी० टन न्यूट्रो बिस्कुट सप्लाई किए हैं। संयंत्र ने कम मात्रा में रसिका फ्रूट जूस और ड्रिक्स का उत्पादन और विपणन जारी रखा। अप्रैल, 96 से दिसम्बर, 96 के दौरान 0.80 लाख क्रेट (200 मि० लि० की 24 बोतलें) रसिका की बिक्री की गई जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 1.31 लाख क्रेटों की बिक्री की गई थी।

रोलर आटा मिल, फरीदाबाद

अप्रैल, 96 से दिसम्बर, 96 के दौरान उत्तर प्रदेश और बिहार को उनके विभिन्न पोषाहार कार्यक्रमों के लिए यूनिट ने 11595 मी० टन ऊर्जादायक खाद्य की आपूर्ति की जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 13729 मी० टन की आपूर्ति की गई थी।

CHAPTER IX

PUBLIC SECTOR UNDERTAKINGS

MODERN FOOD INDUSTRIES (I) LIMITED

Modern Food Industries (I) Limited was incorporated in 1965 under the name of Modern Bakeries (I) Limited. The present name was adopted in November, 1982 in order to reflect its diversified activities.

CAPITAL STRUCTURE:

The authorised share capital of the company is Rs. 15.00 crores and the paid up capital is Rs. 11.08 crores as on 31.12.96. The outstanding loans repayable by the Company to the Government of India stood at Rs. 4.83 crores as on 31.12.96 against Rs. 5.43 crores on 31.12.95.

PHYSICAL PERFORMANCE:

BREAD

The Company continued to produce and market different varieties of bread like white sandwich bread, sweet bread, milk bread, fruity, brown bread and special bread at its 14 bread manufacturing units located at Ahmedabad, Bangalore, Mumbai, Calcutta, Chandigarh, Cochin, Delhi (2 Units), Hyderabad, Indore, Jaipur, Kanpur, Chennai & Ranchi. The total sale of bread during the year period April 1996 to December 1996 was 19.27 crores SL as compared to 17.47 crores SL during the corresponding period of last year. The commercial sales during April 96 to December 96 were 17.35 crores SL as against 15.57 crores SL during the previous year while the nutritional sales were 1.92 crores SL as against 1.90 crores SL for the corresponding period of previous year.

For further growth in production and marketing of bakery products and to provide wholesome and hygienically produced bread at reasonable prices to greater number of consumers in the country, the Company is having Franchise Agreements with 17 private manufacturers. This also brings income to the Company in the shape of royalty. During April to December 1996 the Franchised Units sold 552 lakhs SL and Company earned royalty amounting to Rs. 38.00 lakhs as compared to a sale of 465 lakhs SL and royalty amount of Rs. 29.52 lakhs during the period April-December, 1995.

FRUIT JUICE BOTTLING PLANT, DELHI

During the period April, 96 to December, 96 the unit has supplied 15534 MT of Energy Food to U.P. Government for their Social Welfare Programmes as compared to 11815 MT of Energy Food during the corresponding period of last year. In addition, the unit has also started production of Nutro-Biscuits from this financial year and supplied 2648 MT Nutro-Biscuits to Uttar Pradesh Govt. The Plant continues to produce and market Rasika Fruit Juices and Drinks on low key basis. The sale of Rasika during April, 1996 to December, 1996 was 0.80 lakh crates (of 24 bottles of 200ml each) against 1.31 Lakh crates during the corresponding period of last year.

ROLLER FLOUR MILL, FARIDABAD:

During the period April 96 December 1996 the Unit has supplied 11595 MT of Energy Food to the State of U.P. and Bihar under their various nutritional Programmes as compared to 13729 MT supplied during the corresponding period of last year.

भागलपुर यूनिट

अप्रैल, 96 से दिसम्बर, 96 के दौरान इस यूनिट ने बिहार राज्य को उनके विभिन्न समाज कल्याण कार्यक्रमों के लिए 2471 मी० टन ऊर्जा खाद्य की आपूर्ति की जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 2793 मी० टन की आपूर्ति की गई थी।

कानपुर यूनिट

ब्रेड उत्पादन के अलावा अप्रैल 1996 से दिसम्बर, 96 के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार को उनके समाज कल्याण कार्यक्रमों के लिए 3775 मी० टन ऊर्जा खाद्य की सप्लाई की जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 3277 मी० टन की सप्लाई की गई थी।

एक्सट्रूडर खाद्य संयंत्र, जयपुर

यूनिट ने राजस्थान सरकार के विभिन्न कल्याण कार्यक्रमों के लिए अप्रैल, 96 से दिसम्बर, 96 के दौरान 1,387 मी० टन एक्सट्रूडिड खाद्य की आपूर्ति की जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 1427 मी० टन की आपूर्ति की थी।

अनुसंधान और विकास

कम्पनी के पास अपनी पूरी तरह सुसज्जित अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला है। इस प्रयोगशाला को वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार से मान्यताप्राप्त है। इस प्रयोगशाला की अनुसंधान सुविधाओं का इस्तेमाल बाजार हेतु नए उत्पादों का विकास करने और कंपनी के मौजूदा उत्पादों की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए भी किया जाता है।

अनुसंधान और विकास कार्य के परिणाम स्वरूप प्राप्त लाभ

अनुसंधान और विकास प्रयासों के परिणामस्वरूप कंपनी चुनिंदा यूनिटों के वाणिज्यिक बाजार में केक की सात किस्में ला सकी। कंपनी विभिन्न यूनिटों में अपने उत्पादों की गुणवत्ता को बेहतर बनाने में भी समर्थ रही है और दिल्ली के बाजार में बेहतर प्रीमियम क्वालिटी सैंडविच ब्रेड लाने में भी समर्थ रही।

वित्तीय निष्पादन

कारोबार

कंपनी ने अप्रैल, 96 से दिसम्बर, 96 के दौरान 10360 लाख रुपये का कारोबार किया जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 10034 लाख रुपये का कारोबार किया था। 1995-96 में 14022.13 लाख रुपये और 1994-95 में 11264.78 लाख रुपये का कारोबार किया गया। अनुमान है कि कंपनी 1996-97 में 14850 लाख रुपये का कारोबार करेगी।

लाभ

कंपनी ने 1995-96 के दौरान 11.52 करोड़ रु० का लाभ कमाया जबकि 1994-95 में 5.74 करोड़ रुपये का लाभ कमाया था। अप्रैल, 96 से दिसम्बर, 96 तक कंपनी ने 10.80 करोड़ (लगभग) का लाभ कमाया है।

स्टाफ संख्या

31.12.1996 की स्थिति के अनुसार विद्यमान स्टाफ संख्या 2430 है जबकि स्वीकृत संख्या 2641 है। इस तारीख को इनमें अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की संख्या क्रमशः 378 और 68 थी।

BHAGALPUR UNIT:

During the period April 96 to December 96 the Unit has supplied 2471 MT of Energy Food to Bihar State under their various Social Welfare Programmes as compared to 2793 MT supplied during the corresponding period of last year.

KANPUR UNIT

Besides production of Bread during the period April, 1996 to December, 1996, the Unit has supplied 3775 MT of Energy Food to U.P. Govt. for their Social Welfare Programmes as compared to 3277 MT supplied during the corresponding period of last year.

EXTRUDER FOOD PLANT, JAIPUR

The Unit supplied 1387 MT of Extruded Food during April 96 to December 1996 as compared to supply of 1427 MT during the corresponding period of last year to the various Welfare Programmes of the Government of Rajasthan.

RESEARCH AND DEVELOPMENT:

The Company has its own well equipped Research and Development Laboratory. This Laboratory is recognised by Department of Scientific and Industrial Research, Ministry of Science and Technology, Government of India. The Research facilities of this Lab. are used for development of new products for commercial market and also to improve the quality of existing products of the Company.

BENEFITS DERIVED AS A RESULT OF THE R & D WORK

As a result of the R&D efforts the Company has been able to launch seven varieties of Cakes in the Commercial market at selected units. The Company has also been able to bring significant improvement in the quality of its products at different units and has also been able to launch improved Quality Sandwich Bread in the Delhi market.

FINANCIAL PERFORMANCE:

TURNOVER

The Company's turnover during April, 1996 to December, 1996, is Rs. 10360 lakhs as compared to Rs. 10034 lakhs in the corresponding period of last year. In 1995-96 turnover was Rs. 14022.13 and Rs. 11264.78 lakhs for 1994-95. For the year 1996-97 it is estimated that the turnover of the Company would be Rs. 14850 lakhs

PROFIT

The Company earned a Profit of Rs. 11.52 Crores for the during 1995-96 as against a Profit of Rs. 5.74 crores in 1994-95. For the period April 1996 to December 1996 the Company has earned a profit of Rs. 10.80 crores (approx).

STAFF STRENGTH

The Staff Strength in position as on 31.12.1996 was 2430 against sanctioned strength of 2641. The number of Scheduled Castes, and Scheduled Tribes employees on the date were 378 and 68 respectively.

वास्तविक बिक्री

अप्रैल-दिसम्बर, 1995 की तुलना में अप्रैल-दिसम्बर, 1996 में की गई वास्तविक बिक्री और 1996-97 के लिए बजट अनुमानों समेत 1995-96 के वास्तविक अनुमान निम्नलिखित हैं:—

क्रम सं०	व्यौर	अप्रैल-दिस० 1996	अप्रैल-दिस० 1995	बजट अनुमान	वास्तविक 1995-96
1.	ब्रेड (करोड़ मानक डबलरोटियां)				
	वाणिज्यिक	17.35	15.57	21.40	21.63
	पोषाहार	1.92	1.90	2.60	2.57
	योग	19.27	17.47	24.00	24.20
2.	फल रस और सॉफ्ट ड्रिक्स (लाख क्रेटों में) (क्रेट-200 मी०लि० की 24 बोतलें)	0.80	1.31	2.00	1.34
3.	एक्सट्रूडिड खाद्य (मी०टन)	1387.00	1427.00	1700.00	1925.30
4.	ऊर्जा खाद्य/केयर खाद्य (मी०टन में)	33375.00	31614.00	42000.00	41468.825
5.	न्यूट्रो-बिस्कुट (मी० टन में)	2648.00	—	—	—

पूर्वोत्तर क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लि० (नेरामक) गुवाहाटी

पूर्वोत्तर क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लि० (नेरामक) की स्थापना मार्च, 1982 में पूर्वोत्तर क्षेत्र में पैदा होने वाले फलों और सब्जियों का विपणन और प्रसंस्करण करने के प्रमुख उद्देश्य से की गई थी। कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी 500 लाख रु० और प्रदत्त पूंजी 269 लाख रु० है।

निगम की पहली बड़ी परियोजना अर्थात् त्रिपुरा राज्य में नलकटा में स्थित अनानास रस सांद्रण संयंत्र को जून, 1988 में चालू किया गया था। संयंत्र ने वर्ष 1996-97 (दिस० 96 तक) के दौरान 131 मी० टन अनानास रस सांद्रण तैयार किया जबकि 1995-96 के दौरान 80 मी० टन का उत्पादन किया गया था।

निगम ने बड़ी मात्रा में काजू का प्रसंस्करण शुरू किया है और प्रसंस्करण के लिए 224 मी० टन कच्चा काजू खरीदा है।

निगम ने वर्ष के दौरान छोटे और बहुत छोटे फल उत्पादकों को सक्रिय रूप से समर्थन दिया और पूर्वोत्तर क्षेत्र में उनके उत्पादों की बिक्री की। वर्ष के दौरान निगम ने राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराये गये रियायती वित्त का इस्तेमाल करते हुए पूर्वोत्तर क्षेत्र के विभिन्न स्थानों में जूस बेचने वाली मशीनों की स्थापना करना जारी रखा।

निगम ने व्यापार कार्य भी जारी रखे और छोटे वन उत्पादों, उर्वरकों, शहद आदि जैसी वस्तुओं का व्यापार किया। अप्रैल से दिसम्बर, 96 के दौरान निगम ने 117 लाख रुपये का कारोबार किया जबकि 1995-96 के दौरान उसने 220 लाख रुपये का कारोबार किया था।

निगम को वर्ष 1995-96 के दौरान 166.28 लाख रुपये की हानि हुई थी। जबकि 1994-95 के दौरान 116.33 लाख रु० की निवल हानि हुई थी। इस हानि का कारण कम बिक्री वसूली, अधिक मूल्य हास और उत्पादन लागत में वृद्धि थी।

31.12.96 की स्थिति के अनुसार कर्मचारियों की संख्या 79 थी। इस तारीख को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की संख्या क्रमशः 13 और 9 थी।

PHYSICAL SALES

Physical sales for the period April-December, 1996 vis-a-vis April-December, 1995 and actuals of 1995-96 alongwith Budget estimates for 1996-97 are as follows:—

Sl. No.	Particulars	April-Dec. 1996	April-Dec. 1995	Budget Estimates 1996-97	Actuals 1995-96
1	Bread (In crore S.L.)				
	Commercial	17.35	15.57	21.40	21.63
	Nutritional	1.92	1.90	2.60	2.57
	Total	19.27	17.47	24.00	24.20
2.	Fruit Juices & Soft Drinks (In Lakh Crates) (Crate-24 Bottles of 200 ML Each)	0.80	1.31	2.00	1.34
3.	Extruded Food (In M.T.)	1387.00	1427.00	1700.0	1925.30
4.	Energy Food/Care Food (In M.T.)	33375.00	31614.00	42000.00	41468.825
5.	Nutri-Biscuits in MT	2648.00	—	—	—

NORTH EASTERN REGIONAL AGRICULTURAL MARKETING CORPORATION LIMITED (NERAMAC), GUWAHATI

North Eastern Regional Agricultural Marketing Corporation Ltd. (NERAMAC) Guwahati was set up in March, 1982 with the main objective of undertaking marketing and processing of fruits and vegetables grown in the North Eastern Region. The authorised share capital of the Corporation is Rs. 500 lakhs and paid up capital is Rs. 269 lakhs.

The Corporation's first major project viz. Pineapple Juice Concentrate Plant set up at Nalkata in the State of Tripura, was commissioned in June, 1988. The Plant produced 131 MTs of pineapple juice concentrate (PJC) during the year 1996-97 (till December 1996) as against 80.00 MTs during 1995-96.

The Corporation has taken up processing of cashew in a big way and has procured 224 MT of raw cashew for processing.

The Corporation actively supported the small and tiny producers of fruits during the year and marketed their products in the North Eastern Region. The corporation during the year also continued setting up nodal juice vending machines in different locations of the North Eastern Region utilising the concessional finance offered by National Horticulture Board.

The Corporation also continued with trading activity and undertook trading of commodities such as minor forest products, fertilizers, honey etc. The turnover of the Corporation during the period April to December is Rs. 117 lakhs as against Rs. 220 lakhs during the year 1995-96.

The Corporation has incurred a loss of Rs. 166.28 lakhs during the year 1995-96 as against a net loss of Rs. 116.31 lakhs during the year 1994-95. The loss was essentially due to lower sales realisation, incidence of higher level of depreciation and increase in cost of production.

The staff strength position as on 31.12.96 was 79 The number of Scheduled Castes and Scheduled Tribes employees as on this date was 13 and 9 respectively.

अध्याय-10

विशेष संघटक योजना और जनजातीय उप-योजना

मंत्रालय द्वारा बनाई गई स्कीमों के लक्ष्य जनजातीय क्षेत्रों समेत देश के किसी भाग में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने के लिए सुविधाएं तथा प्रोत्साहन देना है। लेकिन कुछ स्कीमों के तहत एकीकृत जनजातीय विकास कार्यक्रम के लिए निर्धारित जिलों में ऐसे एकक स्थापित करने के लिए सहायता की अधिक राशि दी जाती है। जिन स्कीमों के लिए जनजातीय क्षेत्रों और अनुसूचित जाति/जनजाति समुदायों को योजना सहायता का लाभ मिलेगा, उनका उल्लेख नीचे किया गया है:

1. ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण और प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना संबंधी स्कीम:

यह उद्यम विकास स्कीम है जिसका लक्ष्य शिक्षित उद्यमियों का खासकर ग्रामीण इलाकों में पता लगाना और उनकी कुशलता को बेहतर बनाना, स्वरोजगार और प्रसंस्करण की मूलभूत तकनीक का प्रशिक्षण देना है ताकि वे ऐसे मूल प्रसंस्करण कार्य शुरू कर सकें। प्रशिक्षण सभी प्रासंगिक कार्यों जैसे प्रौद्योगिकी, उत्पादन, विपणन, हिसाब-किताब, गुणवत्ता नियन्त्रण आदि में दिया जाएगा और लघु यूनिट के संचालन और प्रबंधन में भी व्यावहारिक अनुभव प्रदान किया जाएगा।

46 ऐसे केन्द्रों की स्थापना के वास्ते इस स्कीम के लिए 96-97 के दौरान 1.50 करोड़ रु० का परिव्यय प्रस्तावित है। आशा है कि 10 ऐसे केन्द्र अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों के फायदे के लिए स्थापित किये जा सकेंगे। अनुसूचित जाति/जनजाति की महिलाओं और लोगों को प्रशिक्षण देने के लिए भी विशेष प्रयत्न किए जाएंगे।

2. खुम्बी प्रसंस्करण और हॉप्स समेत फल एवं सब्जी प्रसंस्करण के लिए बुनियादी सुविधाओं के सृजन संबंधी स्कीम।

इस स्कीम में राज्य सरकारों के संगठनों/संयुक्त क्षेत्रों/सहायता प्राप्त क्षेत्रों/निजी क्षेत्रों/सहकारी समितियों/स्वयंसेवी संगठनों आदि को सहायता दी जाती है। एकीकृत जनजातीय विकास कार्यक्रम के लिए निर्धारित जिलों/क्षेत्रों के मामले में परियोजना लागत के 50% तक, इसकी अधिकतम सीमा 100 लाख रु० है, सहायता अनुदान देने का प्रस्ताव है। जबकि अन्य मामलों में 30% वित्तीय सहायता दी जाती है और इसकी अधिकतम सीमा 75 लाख रु० है। निजी क्षेत्र के उपक्रमों के मामले में पूंजी लागत के 25% तक सहायता दिए जाने का प्रस्ताव है और इसकी अधिकतम सीमा 25.00 लाख रु० है। खाद्य प्रसंस्करण औद्योगिक सम्पदा स्थापित करने का भी प्रस्ताव है जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना के लिए सामान्य सुविधाएं प्रदान करा सकेगा। इनमें से कुछ से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों को भी लाभ होगा।

3. फल एवं सब्जी प्रसंस्करण एकक स्थापित करने संबंधी स्कीम

इस स्कीम के तहत राज्य सरकार के संगठनों/संयुक्त क्षेत्रों/सहायता प्राप्त क्षेत्रों इत्यादि को सहायता देने का प्रस्ताव है। सहायता प्राप्त क्षेत्र तथा संयुक्त क्षेत्र में यदि यूनिट स्थापित किए जाते हैं तो राज्य/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से इक्वटी शेयर के रूप में प्राप्त राशि ब्याज-रहित ऋण के रूप में उपलब्ध होगी। अन्य के मामलों में परियोजना लागत के 30% तक सहायता अनुदान दिया जाएगा जिसकी अधिकतम सीमा 75 लाख रु० होगी। लेकिन एकीकृत जनजातीय विकास कार्यक्रम के लिए निर्धारित जिलों/क्षेत्रों में स्थापित किये जाने वाले एककों के मामले में 50% तक सहायता दी जाएगी जिसकी अधिकतम सीमा 100 लाख रु० है।

बहुत लघु क्षेत्र में यूनिटों की मदद के लिए परियोजना लागत के 15% तक, जिसकी अधिकतम सीमा 15,000 रु० है की सहायता देना प्रस्तावित है।

4. कुकुट और अण्डा प्रसंस्करण विकास संबंधी स्कीम

इस स्कीम के तहत कुकुट और अण्डा प्रसंस्करण विकास के लिए सहायता प्रस्तावित है। इस स्कीम में भी पूर्वोत्तर राज्यों तथा विशाल जनजातीय जनसंख्या वाले राज्यों इत्यादि को अधिक प्रतिशत में सहायता देना प्रस्तावित है।

CHAPTER X

SPECIAL COMPONENT PLAN AND TRIBAL SUB-PLAN

While the schemes formulated by the Ministry are aimed at providing facilities and incentives for setting up of food processing industries in any part of the country including tribal areas, under some of the schemes higher amount of assistance is sought to be provided for setting up of such units in ITDP districts. The schemes from which benefit of plan assistance may accrue to tribal areas and to SC/ST communities are indicated below:

(1) SCHEME FOR SETTING UP FOOD PROCESSING AND TRAINING CENTRES IN RURAL AREAS:

This is an entrepreneurship development scheme which seeks to identify and educate entrepreneurs particularly in rural areas in the skill improvement and self-employment, basic techniques of processing so that such primary processing can be undertaken by them. The training will be imparted in all relevant activities such as technology, production, marketing, book-keeping, quality control, etc. and will also provide practical experience in operating and managing a small scale unit.

During 1996-97 an outlay of Rs. 1.50 crores is proposed for this scheme to establish 46 such centres. It is expected that 10 such Centres could be set up to benefit people belonging to SC/ST. Special efforts would also be made for imparting training to women and people belonging to SC/ST.

(2) SCHEME FOR CREATION OF INFRASTRUCTURAL FACILITIES FOR F&VP INCLUDING MUSHROOM PROCESSING AND HOPS.

In this scheme assistance is provided to State Government Organisation/Joint Sector/Assisted sector/Private sector/Cooperatives/Voluntary Organisations etc. In the case of ITDP districts/areas grant-in-aid to the extent of 50% of the project cost subject to a maximum of Rs. 100 lakhs is proposed to be provided, whereas in other cases the limit of financial assistance is 30% subject to maximum of Rs. 75 lakhs. In case of Private Sector Undertaking the assistance is proposed to be limited to 25% of the Capital Cost subject to a ceiling of Rs. 25.00 lakhs. It is also proposed to set up Food Processing Industrial Estates which could provide common facilities suited for setting up of Food Processing Industries. Some of these would benefit people belonging to SC/ST.

(3) SCHEME FOR SETTING UP FRUIT AND VEGETABLE PROCESSING UNITS.

In this scheme assistance is proposed to be provided to State Government Organisations/Joint Sector/Assisted Sector etc. In case the units are set up in Assisted Sector and Joint Sector assistance would be available in the form of Interest-free loans to the extent of matching amount being brought in as equity share by the State/Public Sector Undertakings. In the case of others grants-in-aid upto 30% of the project cost subject to a maximum of Rs. 75 lakhs would be provided. However, in the case of units established in ITDP districts/areas the assistance would be to the extent of 50% subject to a maximum of Rs. 100 lakhs.

In order to help the units in the tiny sector, assistance upto 15% of the project cost is proposed to be given, subject to a maximum of Rs. 15,000/-.

(4) SCHEME FOR DEVELOPMENT OF POULTRY & EGG PROCESSING

Under this scheme assistance is proposed to be extended for development of poultry and egg processing. In this scheme also a higher percentage of assistance is proposed to be extended to North Eastern States and States with large tribal population etc.

5. मांस प्रसंस्करण विकास संबंधी स्कीम

इस स्कीम में भी इसी प्रकार की सहायता का प्रावधान है जैसा पॉल्ट्री और अण्डा प्रसंस्करण के विकास संबंधी स्कीम में है। मुर्गी प्रसंस्करण के विकास के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र को 75 प्रतिशत की बढ़ी हुई वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

6. मांस उद्योग में अनुसंधान, प्रौद्योगिकी तथा प्रशिक्षित जनशक्ति के विकास संबंधी स्कीम:

इस स्कीम के तहत मांस प्रसंस्करण के लिए कारीगरों तथा प्रबंधकीय व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को प्रशिक्षण अवधि के दौरान 24.00 रु० प्रतिदिन की दर से वजीफा दिया जाता है।

7. मांस उद्योग में विपणन सुविधाओं, बुनियादी सुविधाओं, ढुलाई संबंधी स्कीम:

बूचड़खानों/मांस निगमों/सहकारी समितियों/परम्परागत रूप से इस व्यापार से जुड़े अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों के निजी उद्यमियों द्वारा चलाए जाने वाले खुदरा दुकानों में शीत भण्डारों/प्रशीतन के लिए 50% तक वित्तीय सहायता दी जाती है।

हमारी स्कीम की मुख्य अवधारणा यद्यपि परियोजना प्रस्ताव पर आधारित है लेकिन योजना राशि का लगभग 20% अनुसूचित जाति/जनजाति समुदायों के फायदे के लिए आबंटित किया जा सकता है।

(5) SCHEME FOR DEVELOPMENT OF MEAT PROCESSING

In this scheme also the provision of assistance is similar to the scheme for Development of Poultry & Egg Processing. For development of Pork Processing an enhanced financial assistance of 75% is provided for the North East.

(6) SCHEME FOR RESEARCH, TECHNOLOGY AND TRAINED MANPOWER DEVELOPMENT OF THE MEAT INDUSTRY

Under this scheme artisans and managerial persons are provided training for meat processing. The stipend to SC/ST candidates at the rate of Rs. 24.00 per day, during the period of training, is provided.

(7) SCHEME FOR MARKETING FACILITIES, INFRASTRUCTURE, TRANSPORT IN MEAT INDUSTRY

Financial assistance for cold storage/refrigeration in the retail outlets maintained by slaughter houses/meat corporations/cooperative societies/private entrepreneurs belonging to SC/ST and backward communities, traditionally engaged in this trade, is provided upto 50%.

Though the main concept of our schemes is based on project approach, yet about 20% of our plan funds may get apportioned to the schemes benefiting SC/ST communities.

प्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय (पी० एल० यू०), मिनटो रोड, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित ।
PRINTED BY MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS (PLU), MINTO ROAD, NEW DELHI.

